लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक, जो दिनांक 28-4-79 को पूर्वान्ह 10-00 बजे आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में होगी, में विचारणीय विषयों की

-: सूची :-

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं0
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	- 1
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 की अनुपालन आख्या ।	- 2
3-	वित्तीय वर्ष 1979-80 के मूल बजट पर विचार ।	- 9
4-	छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र के लिये आर्की-टेक्चरल डिज़ायन आदि के लिए प्रतियोगिता	- 10
5-	हाता रसूल खाँ योजना की आख्या ।	- 11
6-	सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी तथा स्टोर्स एवं परचेज अधिकारी तथा जन सम्पर्क अधिकारी के पद का सृजन ।	- 12
7-	कामर्शियल एकाउण्टिंग लागू करने के लिए दो कास्ट असिस्टेण्ट के पदों का सृजन ।	- 14
8-	अलीगंज योजना में चतुर्थ भाग में 25 एम0आई0जी0 भवनों का निर्माण, बिजली तथा सैनेटरी, वाटर सप्लाई सहित ।	- 15
9-	हजरतगंज स्थित पुराने डाकखाने में त्रिलोक नाथ रोड के समान्तर शो-रूम-कम-आफिस ब्लाक के दो मंजिले भवन का निर्माण ।	- 17
10-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।	

नोट :- बजट पर विचार-विमर्श में काफी समय लगने की सम्भावना के कारण शेष विषय अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे ।

-: 0 :-

विषय :- लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यवृत्त दिनांक 17-3-79 को निम्न शुद्धि के साथ पुष्टि करने की संस्तुति की जाती है ।

विषय संख्या-5 में पारित प्रस्ताव को निम्न प्रकार पढ़ा जाय :-

"नक्खास वाजार की नई इकनामिक्स जिसमें 96 वर्गफुट की दुकानों के लिये रु0 5000/- तथा 100/- रुपये किराया तथा 135 वर्गफुट की दुकानों के लिये रु0 6,000/- प्रीमियम तथा रु0 150/- किराया अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विस्थापितों को उपरोक्त किराये एवं प्रीमियम पर दुकानें आफर की जायें ।

- : 0 : -

विषय संख्या- 2

विषय संख्या	प्रस्ताव	अनुपालन
2-	**विषय** - दिनांक 30-11-78 की अनुपालन आख्या के क्रम में उक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी निम्न संशोधनों के साथ :-	
	पारित प्रस्ताव : कार्यवाही के प्रस्तर 6·3 के स्थान पर निम्न पढ़ा जाय :-	
	क- "मोतीझील आवास योजना" में सिटी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के समस्त 14 सदस्यों को साइट एवं सर्विसेज के भूखण्ड दे दिये जायें।	संशोधित लेआउट तैयार होने पर आवंटित कर दिया जायेगा।
	ख- कार्यवाही के प्रस्तर 7·2 को डिलीट कर दिया जाय।	नोट किया गया।
3-	**विषय** - लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लीज रेण्ट को समाप्त करके फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।	
	पारित प्रस्ताव : विकास प्राधिकरण द्वारा लीज रेण्ट समाप्त करके फ्री-होल्ड अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या पर विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-	
	क- सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं में भूखण्डों/भवनों की भूमि लीज पर न देकर फ्री-होल्ड पर दिया जाय।	नोट किया गया।
	ख- विकास प्राधिकरण की योजनाओं में भविष्य में निस्तारित भूखण्डों/भवनों की भूमि की कीमत में 20% जोड़कर वसूल किया जाय तथा आवण्टियों को फ्री-होल्ड अधिकार दिये जाय।	नोट किया गया।
	ग- भूतकाल में निस्तारित भवनों/भूखण्डों को फ्री-होल्ड अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में आख्या अलग से विधिक राय लेकर प्रस्तुत की जाय।	अगली बैठक में प्रस्तुत नोट किया जायगा।

1	2	3
4- विषय -	हजरतगंज स्थित विकास व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दुकानों को किराये पर दिये जाने के संबंध में ।	
पारित प्रस्ताव :	नोट में प्रस्तुत निर्णयों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।	नोट किया गया ।
5- विषय -	नखास बाजार से सम्बन्धित आख्या ।	
पारित प्रस्ताव :	नखास बाजार की नयी इकनामिक्स जिसमें 96 वर्गफुट की दुकानों के लिये रू0 5000/- तथा 135 वर्गफुट की दुकानों के लिये रू0 6000/- प्रीमियम तथा रू0 150/- किरायाका अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विस्थापितों को उपरोक्त किराये एवं प्रीमियम पर दुकानें आफर की जायें ।	नोट किया गया । विस्थापितों के आफर्स भिजवा दिये गये हैं ।
6- विषय -	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मीटिंग का कार्य करने के लिये विशेष वेतन दिये जाने के संबंध में ।	
पारित प्रस्ताव :	उपरोक्त के क्रम में निर्णय हुआ कि विशेष वेतन के बजाय मीटिंग का कार्य करने वालों को मानदेय प्रदान किया जाय ।	नोट किया गया ।
7- विषय -	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या 22 शमन शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सन्दर्भ में लिये गये निर्णयानुसार दो-सदस्यीय उप-समिति की आख्या पर विचार ।	
पारित प्रस्ताव :	विचार-विमर्श हेतु विषय आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।	
8- विषय -	वित्तीय वर्ष 1978-79 का पुनरीक्षित बजट ।	
पारितप्रस्ताव :-	8•1- वित्तीय वर्ष 1978-79 के पुनरीक्षित बजट पर विचार-विमर्श के उपरोक्त अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में बजट वास्तविक तथा योजनावार तैयार किया जाना चाहिये ।	इस बार प्रस्तुत है ।
	8•2- प्राधिकरण के पास जमा धनराशि का वित्तीय प्रबन्ध अच्छा करके अधिष्ठान अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाय ।	अनुपालन किया गया ।

1	2	3
9- विषय -	आय-व्यय प्रगति आख्या ।	
पारित प्रस्ताव :	अवलोकन किया गया । निम्न निर्देश दिये गये :-	
	1- भूमि के विकास और मकानों के बनने पर हुआ व्यय स्वीकृत इंजीनियरिंग खण्डों को देखते हुये कम हैं । इनका परीक्षण कर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे ।	।
	2- छितवापुर पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की भूमि पर कब्जा अविलम्ब ले लिया जावे और इसकी फेन्सिग करा दी जाय ।	कब्जे की कार्यवाही की जा रही है ।
10-विषय -	महानगर मविन्दर समिति का मामला विचारार्थ ।	
पारित प्रस्ताव :	समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका ।	
11-विषय -	अभियन्त्रण कार्यपद्धति में परिवर्तन ।	
पारित प्रस्ताव :	अभियन्त्रण कार्यपद्धति में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि ए0जी0यू0पी0 कार्यालय से डिवीजनल एकाउण्टेण्ट्स कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर बुलाये जाये ।	नोट किया गया । ए0जी0 कार्यालय को प्रतिनियुक्ति हेतु लिखा गया है ।
12-विषय -	प्राधिकरण के अन्तर्गत दिनांक 1-1-77 तथा 1-1-78 को 3 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में आख्या ।	
पारित प्रस्ताव :	तीन वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के पदों के सृजन का अनुमोदन किया गया तथा इस क्रम में निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया :-	

क्रमसं0	पद-नाम	पद	वेतनक्रम
1-	मिस्त्री	एक	172-226
2-	इलेक्ट्रिसियन्स	एक	172-226

1	2			3
	3--पम्प अटेण्डेण्ट	एक	168-218	
	4-प्लम्बर	तीन	176-250	
	5- चपरासी	एक	165-215	
	6-- चौकीदार	चार	165-215	नोट किया गया ।
	7-- बेलदार	दो	165-215	
	8- गेट	चार	168-218	
	9-- हेल्पर	दो	165-215	
	10-कारपेण्टर	एक	176-250	
	11-गैंग मैन	ग्यारह	165-215	
	12-मैसन	एक	172-226	
	13-सफाई कर्मचारी कार्यालय	एक	165-215	
		33		

12·2 : कार्यालय के स्टाफ पैटर्न पर अध्ययन करने के लिये एक उपसमिति का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य तथा श्री ओ0पी0 बिश्नोई, मुख्य अभियन्ता (पूर्वी) उत्तर प्रदेशजल निगम सदस्य होंगे ।

उपसमिति की एक बैठक दिनांक 19-4-79 को हो चुकी है। अनुशंसा अन्तिम होने पर प्रस्तुत की जायेगी।

13- विषय - प्राधिकरण के वाहनों को चलाने के लिये ड्राइवर तथा क्लीनर के पदों के सृजन के संबंध में आख्या ।

पारित प्रस्ताव : इस विषय को उपरोक्त प्रस्तर संख्या 12·2 के अधीन गठित उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । यह भी निदेश दिया गया कि भविष्य में पूर्वानुमति के बिना किसी भी वाहन का क्रय न किया जाय ।

नोट किया गया ।

1	2	3
14-	**विषय** - प्राधिकरण के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों {चपरासियों} के पदों का सृजन । **पारित प्रस्ताव** : प्रस्तुत आख्या का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि 13 जुलाई, 1978 तक अस्थाई रूप से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गयी तथा वर्तमान स्थिति चलती रहेगी जब तक इस सम्बन्ध में 12.2 में गठित उप समिति की संस्तुति नहीं आ जाती है और प्राधिकरण इस पर निर्णय नहीं ले लेता है ।	
15-	**विषय** - उद्यान विभाग हेतु स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में । **पारित प्रस्ताव** : उपरोक्त विषयक आख्या का अनुमोदन करते हुये दस माली तथा दो हेड मालियों के पदों के सृजन की अनुमति दी गयी तथा निर्देश दिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ नगर के समस्त पार्कों के रखरखाव के बारे में पूरी स्थिति का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करें कि महापालिका तथा विकास प्राधिकरण के बीच पार्कों का कार्य-विभाजन किस प्रकार किया जाय ।	अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
16-	**विषय** प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये चिकित्सक की सुविधा प्रदान किया जाना । **पारित प्रस्ताव** : विषय संख्या 12 के अधीन गठित उपसमिति के समक्ष विषय प्रस्तुत किया जाय ।	
17-	**प्राधि०** -प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में । **पारित प्रस्ताव** : स्थगित ।	अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
18-	**विषय** - सम्पत्ति अधिकारी तथा स्टोर परचेज अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों का सृजन **पारित प्रस्ताव** : स्थगित ।	पुन: प्रस्तुत ।

1	2	3
19-	विषय -कास्ट एकाउन्टेण्ट के विभाग के लिये पदों का सृजन । पारित प्रस्ताव : स्थगित ।	नोट किया पुन: प्रस्तुत ।
20-	विषय - अलीगंज योजना में चतुर्थ भाग में 25 एम0आई0जी0 भवनों का विद्युत, सेनिटरी एवं वाटर सप्लाई सहित निर्माण । पारित प्रस्ताव :स्थगित ।	पुन: प्रस्तुत ।
21-	विषय - पुराने डाकखाने हजरतगंज में त्रिलोकनाथ रोड में समान्तर शो-रूम-कम-आफिस ब्लाक के दो-मंजिले भवन का निर्माण । पारित प्रस्ताव : स्थगित ।	पुन: प्रस्तुत ।
22-	विषय - तालकटोरा रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या-4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन पारित प्रस्ताव : स्थगित ।	
23-	विषय - हाता रसूल खाँ योजना के सम्वन्ध में । पारित प्रस्ताव : स्थगित ।	पुन: प्रस्तुत ।
24-	विषय - प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहनों को व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति के सम्वन्ध में । पारित प्रस्ताव : स्थगित ।	

क्रमशः- - - - -7

1	2	3
25-	विषय - लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या-1 दिनांक 30-11-78 नजूल सम्बन्धी मामलों में मनोनीत उपसमिति की एक बैठक जो उपाध्यक्ष महोदय के कक्ष में दिनांक 6-2-79 को 4-00 बजे हुई, की बैठक की कार्यवाही ।	अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायगा ।

पारित प्रस्ताव - स्थगित ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 1979-80 के मूल बजट पर विचार।

बजट

अलग

से

संलग्न

किया

जा

रहा

है

विषय: छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र के लिये आर्कीटैक्चरल डिजाइन आदि के लिये प्रतियोगिता ।

टिप्पणी

छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की वास्तुकला ड्राइंगों का चयन प्रतियोगिता द्वारा किये जाने का निर्णय दि० 30.11.78 को प्राधिकरण की बैठक में मद सं० 9 के अंतर्गत लिया गया। इस बैठक में प्रतियोगिता संचालन हेतु एक उप समिति का भी गठन किया गया जिसकी बैठक प्रशासक कार्यालय में दि० 15.1.79 को सायं-काल 5 बजे बुलाई गई। बैठक में विवरण पुस्तिका का प्रारुप, वितरण की अंतिम तिथि एवं निर्णायक समिति में गणमान्य वास्तुविदों के नियुक्ति हेतु निर्णय लिये गये । उक्त प्रतिष्ठान का निर्माण कार्य इसी वर्ष शीघ्राति शीघ्र आरम्भ करने के कारण से पुस्तिका वितरण की अंतिम तिथि 21.2.79 तथा सभी डिजाइनों के आमंत्रण की अंतिम तिथि 7.4.79 निर्धित की गई। ज्यूरी श्री बैंजामिन , श्री क्याली, श्री मंडालिया, ज्यूरी के सदस्य उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता मे 15.4.79 को निर्णय हेतु मिले। वास्तुवोक, श्री अतुल श्रीवास्तव को प्रथम तथा मे० कोठारी एण्ड एसोसियेट को द्वितीय पुरस्कृत घोषित किया तथा ज्यूरी ने श्री दिनेश सिंह तथा सुरेश गोयल के कार्य की सराहना की ।

प्रस्तावित भवन में मुख्य उद्देश्य यह रखा गया है कि भवन का रुप शहर के वास्तुविक रुप से सामंजस्यता स्थापित कर सकें और साथ ही यह भवन अपने स्वयं में एक व्यक्तित्व स्थापित कर सके। स्थल पर पूर्व निर्मित धार्मिक भवनों एवं कब्रों को विशेष रुप से ध्यान में रखा गया है कि पार्किंग एवं पर्याप्त एवं खुली जगह का समुचित ध्यान रखते हुये विकल्प प्रस्तावित किया गया है। मुख्य व्यवसायिक भवन में दूकानों को भूतल पर ही रखा गया है किन्तु कुछ दूकानों का प्रावधान प्रथम तल पर भी किया गया है । प्रस्तावित प्रतिष्ठान के पृष्ठ भाग में 30 दूकानों का एवं एक कमरे वाले 30 भवनों का प्रावधान किया गया है। प्रतिष्ठान को 4 भवन खंडों में विभाजित कर दिया गया है एक भाग एक मंजिल का ही है जिसका आच्छादित क्षेत्रफल 648.75वर्गमीटर है, दूसरा भाग जो कि दो मंजिला है उसका आच्छादित क्षेत्रफल, 1237.50 व०मी० है, तीसरा चार मंजिला भवन 3206.25 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल है और चौथा बहुखंडीय भवन जिसका आच्छादित क्षेत्रफल 1625.12वर्गमी०है। दीर्घकालीन पार्किंग का स्थान बेसमेन्ट में प्रस्तावित कर दिया गया है। कार्यालयों को 40वर्गमीटर से लेकर 250 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में विभाजित कर दिया गया है तथा सभी कार्यालयों को प्राकृतिक हवा एवं समुचित रोशनी प्राप्त हो रही है। कार्यालयों का मुख्य यातायात मार्ग "सर्विस कोरें" से प्रस्तावित किया गया है जिसके फलस्वरुप कम से कम 'सरकुलेशन एरिया' की आवश्यकता पड़ेगी।

उपरोक्त टिप्पणी अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

विषय संख्या-5

विषय : हाता रसूल खाँ योजना :-

आख्या-

1. महापालिका अधिनियम की धारा 357 के अधीन गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16-6-1962

महापालिका अधिनियम की धारा 363(1) के अधीन गजट नोटिफिकेशन दिनांक 8-5-65

प्रतिकर की धनराशि = रू0 1,00,000/-

कुल भूमि - - - = 65,469 वर्गफुट

कब्ज़ा - - - = 33,623 वर्गफुट

2- जल निगम ने भूमिगत जलाशय बनाने के लिये 14,000 वर्गफुट भूमि की माँग की है । योजना में प्रस्तावित 12,500 वर्गफुट पार्क का क्षेत्र उत्तर प्रदेश जल निगम को दिया जा सकता है । ऐसी अवस्था में पार्क का सार्वजनिक उपयोग न हो पायेगा । श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम ने इस भूमि को उत्तर प्रदेश जल निगम को दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट की है ।

3- श्री निगम ने यह भी निवेदन किया है कि इस योजना में हाता रसूल खाँ की भूमि में से 30,800 वर्गफुट रू03/28प्रतिवर्गफुट की दर से हाता रसूल खाँ सहकारी गृह निर्माण समिति को दिये जाने के सम्बन्ध महापालिका के प्रस्ताव संख्या 162 दिनांक 10-4-72 में निर्णय लिया गया था तथा राज्य सरकार से योजना की स्वीकृति माँगी गई थी परन्तु शासन का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । वैसे यह योजना दुर्बल आय वर्ग के लिये बनाई जा रही है तथा सभी विस्थापितों को इसी योजना में बसाया जायेगा । परन्तु यदि 30800 वर्गफुट भूमि उपरोक्त समिति को दे दी गई तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध न हुई तो इस योजना को निरस्त करना पड़ेगा ।

अनुशंसा :-

योजना के हित में अनुशंसा की जाती है कि महापालिका के उपरोक्त प्रस्ताव को विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त करने की कृपा करें, जिससे योजना का क्रियान्वयन किया जा सके । जल निगम को प्रश्नगत पार्क दिये जाने के विषय में भी आदेश अपेक्षित हैं ।

- : 0 : -

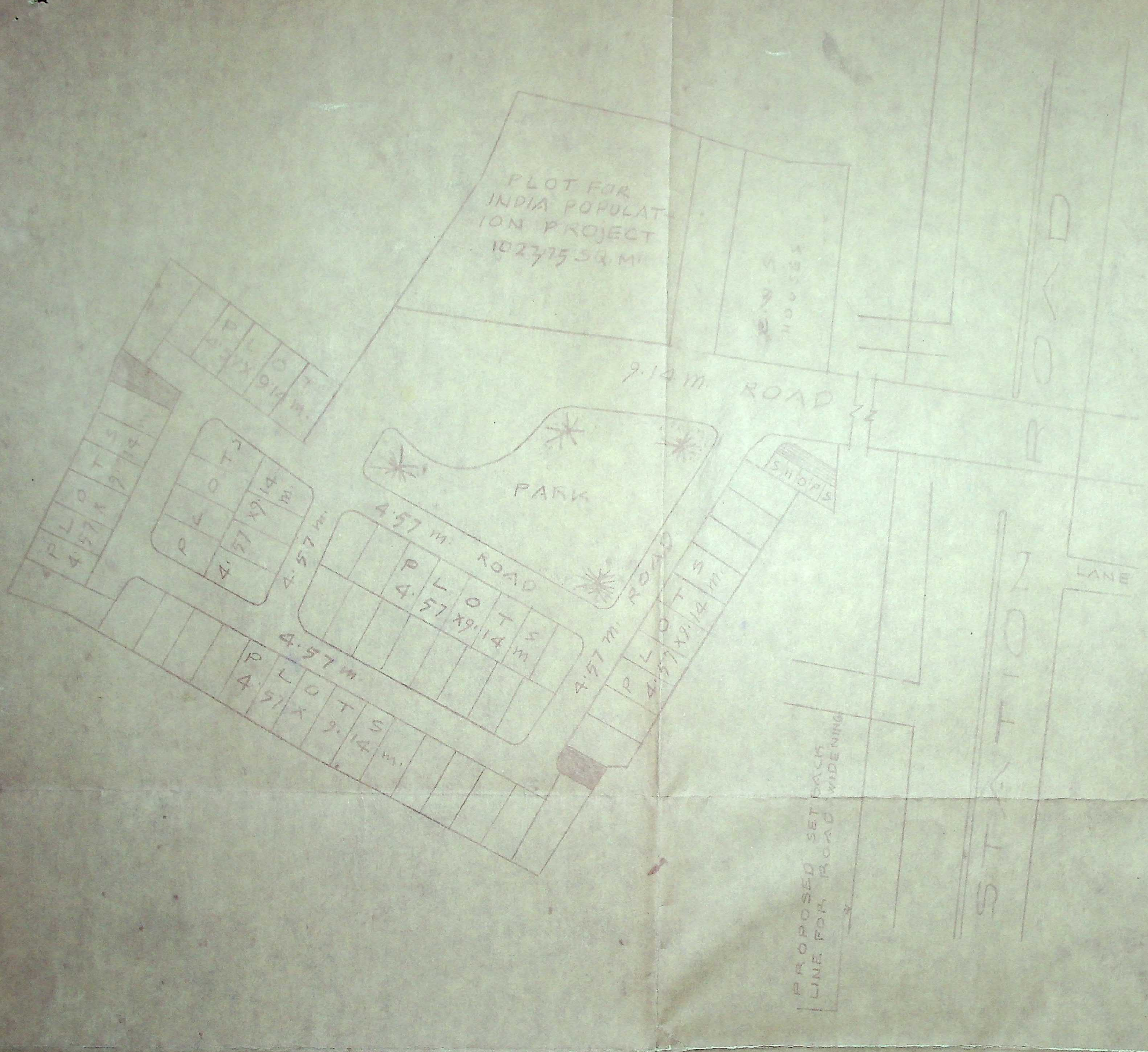

SHEET NO.	DRG. NO.
DATE	

LDA

PROPOSED SITES & SERVICES PLOTS AT AHATA RASOOL KHAN, LUCKNOW.

ALT. 2.

NO. OF EWS HOUSES 12

NO. OF PLOTS — 62

SIZE OF PLOTS — 4.57 X 9.14 m

▭ PUBLIC CONVINIENCES

REFERENCE

AREA OF SCHEME 6084.46 SQ.M.

	AREA IN SQ.M.	PERCENT
PLOT	2654.56	43.75%
E.W.S. HOUSES	480.00	7.80%
ROAD	1041.13	17.10%
PARK	675.00	11.09%
PUBLIC C. & SHOPS	210.00	3.45%
SITE FOR INDIA POPULATION PROJECT	1023.75	16.80%
TOTAL	6084.46	100.00

SCALE — 1:500
1 CM TO 5 METERS

N

REVISION		DRAWN BY R.N. SHUKLA, AWA
NO.	DATE	CHECKED BY
		DEALT BY

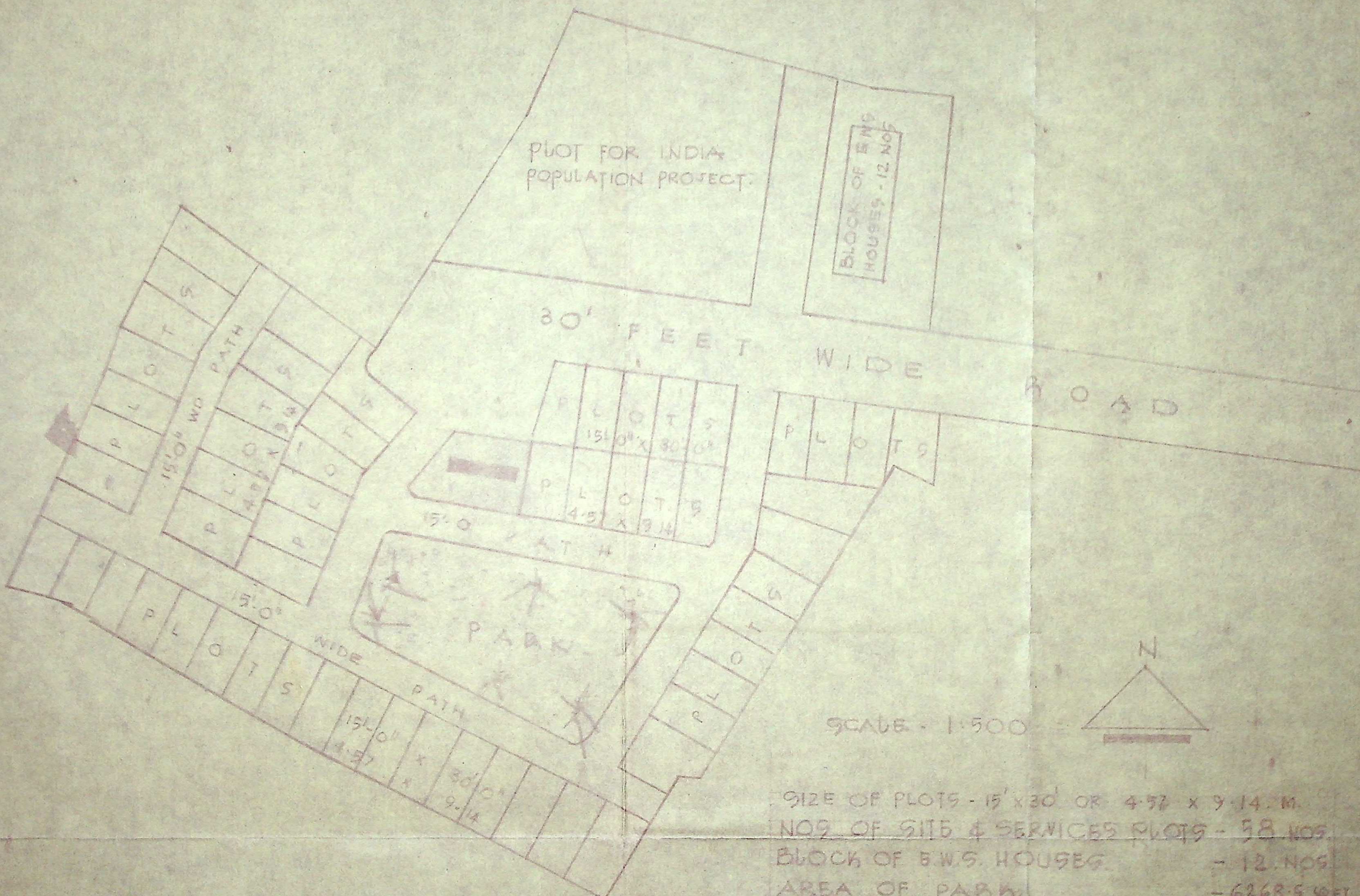

SIZE OF PLOTS - 15' X 30' OR 4.57 X 9.14 M.
NOS. OF SITE & SERVICES PLOTS - 58 NOS.
BLOCK OF E.W.S. HOUSES - 12 NOS.
AREA OF PARK - 6268.5 SQ.FT
PUBLIC CONVENIENCES -

ALTERNATIVE - IF THE LAND IS NOT GIVEN TO JAL NIGAM.

TENTATIVE LAYOUT OF AHATA RASOOL KHAN, STATION ROAD, LUCKNOW FOR SITE & SERVICES PLOTS.

प्रविष्टा

विषय:- सम्पत्ति अधिकारी तथा स्टोर्स एवं परचेज अधिकारी तथा जन सम्पर्क अधिकारी के पद सृजन के सम्बन्ध में।

आख्या:-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि-अर्जन के पश्चात् भूमि का विकास किया जाता है और उसके पश्चात् या तो भूखण्डों का विक्रय होता है अथवा विभिन्न प्रकार के भवन बनाकर उनका विक्रय किया जाता है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दूकानों व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण करके उनके निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर जो छुटपुट भूखण्ड उपलब्ध हैं उनका निस्तारण किया जाता है। मण्डपों आदि का नीलाम भी किया जाता है। विभिन्न योजनाओं में लीज रेन्ट तथा किराया क्रय पद्धति के आधार पर निस्तारित भवनों की किश्तें वसूल करने का कार्य भी होता है। चूंकि उपरोक्त कार्य पूर्णकालिक है तथा प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य है, अतः उपरोक्त कार्य हेतु एक सम्पत्ति अधिकारी होना चाहिए, जो उपरोक्त समस्त कार्यों का निष्पादन भली प्रकार से कर सके जिससे प्राधिकरण की नियमित आय में तत्परता सुनिश्चित की जा सके। अतः संस्तुति की जाती है कि एक सम्पत्ति अधिकारी का पद वेतनक्रम 800-1450 तथा अन्य अनुमन्य भत्तों में सृजित कर दिया जाय।

2- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अभियन्त्रण कार्यों की पद्धति का विश्लेषण किया गया। यह प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को बिल्डिंग मटेरियल परिषद द्वारा ही सप्लाई किये जाते हैं तथा सिर्फ लेबर कान्ट्रेक्ट पर या डिपार्टमेन्टल रखी जाती हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी चल रहे। प्रस्तावित कार्यों के लिये टेण्डर मांगने पर ऐसी स्थिति आती है कि या तो टेण्डर मांगने पर ऐसी स्थिति आती है या तो टेण्डर आते ही नहीं या कम प्राप्त होते है अथवा दरें अत्यधिक उच्च प्राप्त होती हैं। अतः कार्यहित में आवश्यक है कि स्टोर परचैज लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं करके सम्बन्धित ठेकेदार को अथवा विभागीय निर्माण इकाई को उपलब्ध कराये। वैसे भी प्राधिकरण अन्य सामग्री की खरीद के लिए व्यवस्था की जानी है।

अतः संस्तुति की जाती है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक स्टोर परचैज आफीसर का पद वेतन क्रम 800-1450 में सृजित किया जाय।

3- लखनऊ विकास प्राधिकरण की गतिविधियों से लखनऊ नगर के हजारों नागरिकों का वास्ता पड़ता है। प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे आवासीय भवन। भूखण्डों दूकानों आदि का विवरण जानने हेतु कार्यालय में प्रायः क्लाइन्टस काफी अधिक संख्या में आते रहते हैं। ये क्लाइन्टस कई बार इधर उधर आवश्यक सूचना उपलब्ध न होने के कारण भटकते रहते है और उन्हें पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है।

इससे प्राधिकरण की गतिविधियों से मास कम्युनिकेशन मीडिया जैसे आकाशवाणी, टेलीविजन तथा समाचार पत्र आदि को नियमित रुप से अपनी गतिविधियों के विषय में सूचना देनी होती है।

तीसरे सम्पत्ति के निस्तारण के लिए आवश्यक प्रचार नहीं हो पाता जिससे संपत्ति का वांछित मूल्य नहीं मिल पाता। प्राधिकरण में जन संपर्क अधिकारी न होने के कारण उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण पहलू पिछड़ गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कानपुर विकास प्राधिकरण में एक जन सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित है। अत: लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन सम्पर्क अधिकारी का एक पद वेतनक्रम 550-1200 में सृजित किये जाने की स्वीकृति अपेक्षित है।

कानपुर विकास प्राधिकरण की तुलना में पदों की स्थिति सूचनार्थ प्रस्तुत है।

	कानपुर विकास प्राधिकरण	ल०वि०प्रा०
सचिव	एक	एक
अतिरिक्त सचिव	एक	एक
संयुक्त सचिव	तीन	--
जनसम्पर्क अधिकारी	एक	--
उप निदेशक	एक	--

-- ---

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय:-कामर्शियल एकाउन्टिंग लागू करने के लिये दो कास्ट असिस्टेन्टस के पदों के सृजन के संबंध में।

आख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण में नगर महापालिका लेखा नियम, कतिपय संशोधनों सहित, लागू है। हडको, बैंक तथा अन्य संस्थाओं से जब ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है तो सर्व प्रथम उनका यही प्रश्न होता है कि आपके यहाँ लेखे किस आधार पर रखे जाते हैं और जब उनको ज्ञात होता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखें कामर्शियल एकाउन्टिंग पर आधारित नहीं है तो उनकी यह शर्त होती है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण कामर्शियल एकाउन्टिंग चेक करने में उनको सुविधा हो सके। इस संबंध में कई बार हडको से लिखित रुप से भी निर्देश प्राप्त हो चुके हैं।

आई०यू०डी०पी० के अन्तर्गत भारत सरकार से जो ऋण प्राप्त होता है, उसके संबंध में भी भारत सरकार के अधिकारी कामर्शियल एकाउन्टिंग पर लेखों को रखने के लिए दबाव डालते हैं।

चूंकि वर्तमान लेखा नियमों के अनुसार केवल कैश एकाउन्टिंग ही हो पाती है। अतः उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों को भी कामर्शियल एकाउन्टिंग पर रखा जाय।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कास्ट एकाउन्टेन्ट के पास कास्टिंग संबंधी अन्य कार्य भी रहते हैं। इस कार्य के लिये कोई स्टाफ न होने से उन्हें काफी असुविधा होती है एवं कास्टिंग का अधिकतर कार्य उन्हें स्वयं ही करना पड़ता है। संक्षेप में कास्टिंग के कार्य के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण में निर्मित होने वाले भवनों आदि की लागत की जांच करना विभिन्न योजनाओं की अर्थव्यवस्था की जांच करना तथा अन्य विकास प्राधिकरणों आदि से कास्टिंग सम्बन्धी सूचना एकत्र करके उसका विश्लेषण करना आदि कार्य सम्मिलित है।

उपरोक्त कार्यों हेतु कास्ट एकाउन्टेन्ट के अधीन दो कास्ट असिस्टेन्ट के पद वेतन क्रम रु0 350-700 में सृजित करने की अनुशंसा की जाती है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या.

विषय संख्या: 18

विषय:- अलीगंज योजना में चतुर्थ भाग में 25 एम0आई0जी0 भवनों का निर्माण विजली तथा सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई सहित।

सारांश:-

25 एम0आई0जी0 भवनों के निर्माण हेतु सर्व श्री इम्पीरियल का0 की एवं निम्न निविदा धनांक 10,24,920/52 पै0 विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-78 में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थी परन्तु उक्त बैठक में इस विषय पर विचार नहीं हो सका।

उपरोक्त कार्य हेतु उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा दिनांक 24-8-77 को रु0 9,28,000/- का प्राकलन इन्वी0कान्टेजेन्सी तथा वर्क चार्ज स्टैवलिशमेंट समेत स्वीकृत किया गया प्रथम वार दिनांक 20-9-77 को निविदा आमंत्रित किये गये कोई निविदा नहीं प्राप्त हुई दूसरी वार नवम्बर के माह में निविदा मांगी गई पुनः कोई निविदा नहीं प्राप्त हुई तीसरी वार दिनांक 5-1-78 को निविदा मांगी गई तीन निविदायें प्राप्त हुई थी। डी0एस0 ब्रदर्स की सर्व निविदा बहुत उच्च थी अतः निविदा निरस्त करके दिनांक 17-1-78 को पुनः निविदा मांगे तथा मे0 नालन्दा कान्सट्रक्शन की रु08,32,987/03 पै0 की निविदा स्वीकृत की गयी परन्तु तमाम प्रयासों के उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया। अतः निविदा रद्द करके ठेकेदार की प्रतिभूति जब्त कर ली गयी पुनः दिनांक 26-7-78 को निविदा मांगी गयी निम्न दो निविदा प्राप्त हुई :-

1- मेसर्स इम्पीरियल कान्सट्रक्शन

1-सिविल वर्क	60 प्रति0	9,17,072-00
2-सेनेटरी वर्क	55 प्रति0	88,534-00
3-इलैक्ट्रिक वर्क	20 प्रति0	34,494-00
		10,40,100-84 पै0

2-मेसर्स यूनाइटेड ब्रदर्स

1-सिविल वर्क	65 प्रति0	9,45,730-50
2-सेनेटरी वर्क	60 प्रति0	91,390-80
3-इलैक्ट्रिक वर्क	15 प्रति0	33,056-75
		10,70,178-05

उपरोक्त निविदाओं में से मे0इम्पीरियल कान्सट्रक्शन की निविदा सर्व निम्न है जो कि वर्ष 1972 के शिड्यूल पर आधारित न्यायानुमान से -

57.68 प्रति0 है क्योंकि जिस समय उक्त प्राक्कलन किया गया था उस समय से बाजार में भवन निर्माण आदि सामग्री की दरें बहुत बढ़ गई हैं। अतः वर्ष 1972 के शिड्यूल पर वर्तमान इन्क्री0 एप्रो0 लगाकर तुलना करने पर निविदा 1.27 प्रति0 निम्न आती है। ठेकेदार ने पुनः अपने पत्र दिनांक 6-11-78 के द्वारा अनुरोध किया है कि यदि उसे सीमेंट रु0 23-50 की दर से दी जाती है तो वह अपनी दरें घटाकर निम्न कर देगा।

1-सिविल वर्क 59 प्रति0

2- सेनेटरी वर्क 45 प्रति0

3-इलैक्ट्रिक वर्क 7 प्रति0

उक्त परिस्थितियों में अब मेसर्स इम्पीरियल कान्स्ट्रक्शन की निविदा 1972 के शिड्यूल पर प्राक्कलित धनराशि से 55.52 प्रति0 उच्च रह जाती है। बाजार में भवन निर्माण सामग्री की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए उक्त दरें उचित हैं। अतः मेसर्स इम्पीरियल कान्स्ट्रक्शन की निविदा रु0 10,24,920/52 पै0 की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है चूंकि निवेदित धनराशि प्राक्कलित धनराशि से उच्च है। अतः यदि विषय विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है।

चूंकि कार्य आवश्यक था इस कारण अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 23-12-78 को प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान कर दी थी। विषय प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

-- ----

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय सं0- 9

विषय:- हजरतगंज स्थित पुराने डाकखाने में त्रिलोक नाथ रोड के समानान्तर शो रूम कम आफिस ब्लाक के दुमंजिले भवन का निर्माण।

हजरतगंज व्यावसायिक काम्पलैक्स के प्रांगण में त्रिलोक नाथ रोड के समानान्तर एक आफिस कम शो रूम ब्लाक का निर्माण प्रस्तावित है। इससे पूर्व शो रूम आफिस ब्लाक के स्थान पर शाप कम आफिस ब्लाक का प्रस्ताव था परन्तु उपाध्यक्ष के कक्ष में हुयी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अत काम्पलैक्स में पहले से ही 103 दुकानें बनायी जा चुकी हैं। अतः और अधिक दुकानों की कोई जरुरत नहीं है। चूँकि इस क्षेत्र में शो रूम की कमी है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार ब्लाक की डिजाइन के आधार पर एक व्ययानुमान 10,07,588/- का बनाया गया जिसकी निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय से दिनांक 27-10-78 को विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राप्त की गयी है। तदनुसार दिनांक 16-11-78 को निविदा आमंत्रित किये गये।

प्राप्त निविदाओं में से सर्व निम्न निविदा सर्व श्री कोहली कान्ट्र0 कम्पनी की धनराशि 10,28,495/- की [illegible] प्राप्त हुयी जो आगणन की धनराशि से 10-241/- उच्च है। चूँकि आगणन पी0डब्लू0डी0 के सन् 78 के शिड्यूल पर आधारित है। परन्तु वर्तमान बाजार भाव कुछ आइटम के काफी ऊँचे हैं। अतः आगणन में बाजार की दरें लगाने पर व्ययानुमान रु0 10,51,073-00 का होजाता है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में उपरोक्त की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23-11-78 को ले ली गयी थी। अतः प्रश्नगत संशोधित व्ययानुमान रु0 10,51,073-00 तथा सर्व निम्न निविदा मेसर्स कोहली कान्ट्र0 कम्पनी की धनराशि रु0 10,28,495/- की विकास प्राधिकरण की औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

विकास प्राधिकरण की बैठक दि० 28-4-79, जो आयुक्त, लखनऊ मंडल के कार्यालय में 10 बजे होगी, में विचारार्थ अनुपूरक कार्य-सूची।

xxxxxx

विषय सं०: 10 :- डा० जय शंकर टण्डन की भूमि अर्जन संबंधी विषय ।

विषय सं०: 11 :- बजट की अतिरिक्त सूचना ।

विषय सं०: 12 :- विषय सं० 4 के संबंध में आर्कीटेक्चरल डिजाइन तथा संक्षिप्त विवरण ।

विषय सं०: 13 :- अल्प आय वर्ग के मकान सम्बन्धी आख्या ।

विषय सं०: 14 :- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिनांक 30-11-78 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि " जिलाधिकारी, लखनऊ को उक्त मामले में विचार करके संस्तुति प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया"। जिलाधिकारी, लखनऊ की आख्या प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने डा० जे०-एस०टण्डन की भूमि अर्जन से मुक्त करने की संस्तुति की है। आख्या संलग्नित है।

डा० टण्डन के मामले में तथ्य निम्नलिखित हैं:-

1-डा० टण्डन ने खाता नं० 415 तथा 416 की भूमि खेतिहर भूमिधर श्री ईश्वर दीन पुत्र श्री बालादीन तथा श्री राम चन्द्र पुत्र श्री ईश्वर दीन से खरीदी थी। इसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 5-6-59 में हुआ था। उनके नाम इस भूमि का म्यूटेशन हो चुका है।

2- अलीगंज विकास एवं नगर प्रसार योजना जिसकी महापालिका अधिनियम की धारा 357 के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 24-3-62 को हुई थी, में डा० टण्डन की भूमि अर्जन के अधीन आती है।

3- महापालिका अधिनियम की धारा 358 के अन्तर्गत महापालिका की विकास समिति ने हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियां सुनी तथा अपनी अनुशंसा महापालिका को अर्जन से मुक्त करने या न करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की है। डा०टण्डन की आपत्ति पर विकास समिति ने विचार कर यह निर्णय लिया कि उनकी आपत्ति में बल नहीं है अतः अस्वीकार की जाती है।

4- दिनांक 29-5-67 को राज्य सरकार द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा महापालिका अधिनियम की धारा 363 के अधीन योजना का नोटीफिकेशन दिनांक 25-4-69 को अन्तिम कर दिया गया है।

5- उल्लेखनीय है कि योजना के फाइनल नोटीफिकेशन की धारा 363 (जो अर्जन अधिनियम की धारा 6 के समकक्ष है) के बाद किसी भी <u>व्यक्ति या संस्था की भूमि अर्जन से मुक्त नहीं की गयी है</u>।

6- यदि डा० टण्डन को भूमि अर्जन से मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है तो विकास प्राधिकरण, न्यायालय में चल रहे समस्त अर्जन सम्बंधी वादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे मामले जो शासन तथा न्यायालयों के विचाराधीन है, की सूची संलग्न है।

7- इस संबंध में अधिवक्ता की राय संलग्न है।

जिलाधिकारी की आख्या

डा० जे०एस० टण्डन के नाम दो प्लाट है- खसरा नं० 415 और खसरा नं० 416 । यह दोनो प्लाट एक भूमिधर श्री ईश्वरदीन के थे और डा० टण्डन के नाम एक पंजीकृत सेल डीड के आधार पर 26-11-59 को डा० टण्डन के नाम हो गये थे ।

इस क्षेत्र का अधिग्रहण लखनऊ विकास प्राधिकरण के धारा 357 नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 17-3-62, 24-3-62 व 31-3-62 को किया । इस योजना का नाम अलीगंज सड़क एवं नगर विस्तार योजना रखा गया ।

धारा 358 नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत सभी हितवद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर दिया गया । डा० टण्डन ने भी अपनी आपत्ति दायर की परन्तु लखनऊ विकास समिति ने विचार करके यह निर्णय दिया कि इनकी आपत्ति में कोई बल नहीं है ।

उस समय के प्रशासक ने आदेश सं० 2 दि० 12-5-67 द्वारा कुछ व्यक्तियों की जमीन कुछ शर्तों के साथ छोड़ने का निर्णय लिया था परन्तु डा० टण्डन की भूमि नहीं छोड़ी गयी ।

अब राज्य सरकार की स्वीकृति इस योजना के लिये प्राप्त हो गयी तब नगर महापालिका ने धारा 363 की विज्ञप्ति जारी कर दी । उसके बाद नगर महापालिका अथवा लखनऊ विकास प्राधिकरण ने योजना से कोई भूमि मुक्त नही की है ।

तदोपरान्त डा० टण्डन ने भूमि अर्जन की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायरकी जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28 अगस्त, 1978 को निर्णय दिया । इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि :-

"We are not expressing any opinion on the merits of the Petitioner's claim. It would be for the authority concerned to decide whether under section 359 of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 the scheme is to be modified or not. But as it appears that the matter has not been disposed of, we allow this petition inpart and give a direction to the respondents to decide the petition's application filed as Annexure 7 to the writ Prtition within a reasonable time in case it has not already been disposed of.

The Petition is Partly allowed, Costs on Parties.

उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले ही अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने पत्रावली प्रस्तुत की गयी और डा0 टण्डन के प्रार्थना पत्र पर दि0 30-5-78 को निर्णय ले लिया गया कि डा0 टण्डन की भूमि छोड़ने का कोई औचित्य नही है । यह आश्चर्यजनक बात है कि अध्यक्ष के निर्णय को उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया नहीं तो उच्च न्यायालय यह कन्डीशनल आर्डर पारित नहीं करती ।

मैंने स्थल पर भी जाकर निरीक्षण किया । डा0 टण्डन की जमीन एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां यदि इसको अधिग्रहण से मुक्त भी कर दिया जाता है तो हाउसिंग कालोनी की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा । डा0 टण्डन की जमीन केवल एक प्राईवेट स्कूल बनाने के लिये सुरक्षित रक्खी गयी है । उसके दोनों ओर 25 फिट की सड़क बनाई जा रही है । इसमें से सड़क के बांई ओर जो जमीन पड़ी है वह भी स्कीम से मुक्त है (सम्भवतः मोहन एण्ड कम्पनी की है) । मौके पर जाकर मुझे प्रतीत हुआ कि यदि डा0 टण्डन इस बात पर राजी हो जाय कि जितनी जमीन 25 फिट सड़क बनाने में लगेगी वह जमीन बिना मुआवजे के लखनऊ विकास प्राधिकरण को दे दें तो इनकी जमीन मुक्त करने में कोई आपत्ति नही है । वैसे भी जितनी भूमि श्री टण्डन के नाम आयेगी उसमें कुछ सरकार अर्बन सीलिंग के अन्तर्गत उनसे ले ही लेगी और सरकार पुनः उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर सकती है ।

एक बिन्दु यह उठाया गया कि यदि डा0 टण्डन की भूमि मुक्त की जाती है तो कुछ अन्य आवेदन पत्र जो शासन के विचाराधीन है उसके लिये यह एक Precedent बन जायेगा । मुझे यह नहीं पता कि किस ने प्रार्थना पत्र दिये है। परन्तु यदि उनकी जमीन ऐसी ही जगह स्थित है जैसी डा0 टण्डन की है तो मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

ह0 /

(योगेन्द्र नारायण)
जिलाधिकारी, लखनऊ ।

उमा/79

न्यायालय में चल रहे मुकदमों की सूची

1- मोहन एण्ड को0 बनाम विकास प्राधिकरण, लखनऊ

2- कृष्णा कालोनाइजर बनाम विकास प्राधिकरण, लखनऊ

3- चिरंजन लाल बनाम विकास प्राधिकरण, लखनऊ

4- श्रीमती सावित्री देवी बनाम विकास प्राधिकरण, लखनऊ

शासन के विचाराधीन चल रहे केसों की सूची

1-सूर्य प्रकाश सिंह (सिंह ब्रदर्स)

2-श्रीमती प्रेम लता त्रिवेदी

3-श्री दाऊजी गुप्त

4-अलकापुरी हाउसिंग सोसाइटी

5-नरेन्द्र नगर हाउसिंग सोसाइटी

6-श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति

7-लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ

8-मुहम्मद अली खाँ एवं समशाद अली खाँ

9-नन्द विलियम

10-जन कल्याण सहकारी गृह निर्माण समिति

11-सहकारी गृह निर्माण समिति

12-अहिबरनपुर के निम्न व्यक्तियों की जमीन छोड़ने से विषयक मामला-

क-डॉ0 गनेश प्रसाद शुक्ला

ख-श्री नन्द किशोर अवस्थी एवं अन्य 22 व्यक्ति।

13-बन्धु गृह निर्माण समिति

14-आजाद गृह निर्माण समिति

15-चन्द्र शेखर गृह निर्माण समिति

16-एल0डी0पन्त

17-श्रीमती राम दुलारी

18-श्री पी0पी0त्रिवेदी

19-श्री ललता प्रसाद वैश्य

20- उसमानपुर के निम्न निवासियों की जमीन छोड़ने से विषयक मामला-

क-श्री हुबलाल

ख-श्री तोता

ग-श्री नौमी लाल

घ-श्री मैकू लाल

ड.-मु0फुलवासा

च-श्री भरत लाल

छ-श्री बाबू लाल

ज-श्री रमेश

झ-श्री सुन्दर लाल

ट-श्री बेचेलाल

21-श्री छोटे लाल निवासी रैताशपुर

22-श्रीमती पुष्पा सिन्हा

23-श्रीचन्द्रिका प्रसाद पुत्र श्री परागी लाल, पुरनिया।

--- 0 ---

Umesh Chandra
Advocate,
Chief Standing Counsel,
U.P. Government.

PHONE : 50826
HIGHT COURT : 42208

5A, A.P. SEN ROAD,
LUCKNOW-226001.

Dated April 27, 1979.

The Secretary,
Lucknow Development Authority

Lucknow.

Sir,

Under Section 364 of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam all that is permissible is the alteration of an approved scheme, but individual plots of land comprising the Scheme cannot be released. The High Court's direction is wholly innocous and the Lucknow Development Authority can say that legally it is not permissible to release the land of an individual. Besides it would be laying down a dangerous precedent in case the land of Sri Tandon is released, because others might follow suit and make unreasonable request for release of their plots of land.

Yours faithfully,

Sd/...........
(Umesh Chandra)

बजट

के

सम्बन्ध

में

अतिरिक्त

सूचनायें ।

-:0:-

वर्ष वार भूखण्ड आबंटन का विवरण

अलीगंज योजना

भूखण्डों का प्रकार	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80 प्रस्ताव
ए- टाइप	24	18	3	2	-
ए-1 टाइप	21	25	3	3	-
बी टाइप	100	124	10	11	52
बी-1 टाइप	119	246	42	21	153
सी-टाइप	177	371	52	29	170
डी-टाइप	-	90	3	12	68
डी-1 टाइप	-	36	1	-	-
(बड़े क्षेत्र का निस्तारण यदि बी-1 टाइप के प्लाट बनाए जाते हैं)	-	300	163	521	-
=	441	1210	277	599	443

टिप्पणी :- यद्यपि वर्ष 1976-77 में 1210 भूखण्ड आबंटित हुए थे, परन्तु इन भूखण्डों का विकास कार्य अगले वर्षों में पूर्ण कराया गया। इसी के विपरीत वर्ष 1978-79 में आबंटित भूखण्डों का विकास कार्य बहुत हद तक पूर्ण किया जा चुका है ।

भवनों का निर्माण

भवनों का प्रकार	75-76	76-77	77-78	78-79	योग	लक्ष्य 79-80
1- उच्च आय वर्ग	10	18	9	67	104	20
2- मध्यम आय वर्ग						
क-एक मंजिला	73	138	3	25	239	221
ख-दो मंजिला	--	-	पेपर मिल 52	-	52	
3- अल्प आय वर्ग	66	124	-	4	194	764
4- ई0डब्ल्यू0एस0						
एक मंजिला	176	733	300	200	1409	1151
दो मंजिला	-	-	32	16	48	
5- साइट्स एवं सर्विसेज		-	-	-	-	2600

अनुलग्नक "क"

वर्ष 1976-77 से वर्ष 1978-79 तक की आय का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं0	आय की मदें	वास्तविक 1976-77	वास्तविक 1977-78	वास्तविक 1978-79	मूल बजट 79-80	विवरण पृ0
1	2	3	4	5	6	7
1-	राजस्व					
1-	पट्टों का अधिशुल्क	2.17	1.97	1.65	5.40	18
2-	भवनों/दुकानों का किराया एवं प्रीमियम ।	13.92	13.76	21.02	44.66	18
3-	भवनचित्र तथा तावान शुल्क आदि	2.33	3.35	3.86	6.08	19
4-	अन्य प्राप्तियाँ	17.60	21.94	19.62	4.75	19
	योग :	36.02	41.02	46.16	60.89	
2-	पूँजीगत					
क-	आय : -					
1-	भूमि की विक्री से आय ।	133.54	56.83	129.28	147.67	21
2-	भवनों की विक्री से आय	115.13	92.58	~~122.72~~ 88.68	78.42	21
3-	अन्य प्राप्तियाँ	2.72	36.22	26.70	4.10	21
	योग "क"	251.39	185.63	244.66	230.19	
	महायोग :	287.41	226.65	290.81	291.08	
ख-	ऋण/अनुदान :					
1-	शासन से प्राप्त ऋण	270.00	51.00	131.875	113.27	22
2-	शासन से प्राप्त अनुदान	6.00	--	2.35	8.60	22
3-	हडको से प्राप्त	43.85	33.29	-	87.00	22
4-	ऋण माँगपत्र	206.00	--	-	300.00	
5-	अन्य संस्थागत	20.00	--	-	-	
	योग:	545.85	84.29	134.225	508.87	
	योग- क प्लस ख	797.24	269.92	378.825	739.06	
	योग 1 प्लस 2	833.26	310.94	425.035	799.95	22

वर्ष 1976-77 से वर्ष 1978-79 तक व्यय का विवरण

क्रम सं०	व्यय की मदें	1976-77 वास्तविक	1977-78 वास्तविक	1978-79 पुनरीक्षित/वास्तविक	मूल बजट 1979-80	विवरण पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7
1-	अधिष्ठान व्यय	15·33	23·92	26·42	41·50	24-27
2-	मशीनरी एवं स्टोर्स	4·35	13·73	25·21	56·00	32
3-	ब्याज एवं ऋणों का प्रतिदान ।	54·96	119·49	159·03	133·03	25-28
4-	**भूमि का अर्जन :**					
	1- अलीगंज	45·00	15·00	114·00	60·00	28
	2- कानपुर रोड योजना	-	15·00	127·50	120·00	28
	3- अन्य योजनायें	3·87	4·57	--	40·00	28
5-	**विकास कार्य :**					
	1- अलीगंज योजना	58·90	33·34*	75·09	122·00	29
	2- कानपुर रोड योजना	00·24	00·75	34·05	66·00	29
	3- अन्य योजनायें	1·22	0·04	11·21	61·71	25-26 28,31
6-	**भवनों का निर्माण :**					
	1- अलीगंज योजना	83·80	25·59	44·84	167·55	30
	2- कानपुर रोड योजना	--	--	0·01	33·50	30
	3- मोतीझील योजना	--	---	6·36	37·00	30
	4- पेपर मिल योजना	--	--	3·19	8·00	30
	5- अन्य योजनायें	--	--	--	21·50	30
7-	**व्यवसायिक केन्द्रों/ दुकानों का निर्माण**					
	1- पुराना डाकघर हजरतगंज	48·12	72·67	4·05	10·00	31
	2- नक्खास/ [illegible]	3·13	2·66	2·11	12·00	31
	3- अलीगंज	5·53	0·21	2·02	15·00	31
	4- सिण्डर्स डम्प, आलमबाग	-	0·85	1·29	5·00	31
	5- छितवापुर	-	-	-	20·00	31
	6- आर०टी०ओ०	-	-	-	20·00	31
	7- स्लम ( )	9·95	7·14	8·05	35·39	31
	8- विविध व्यय	33·33	37·64	40·44	57·37	18,24 26·27·32
	योग :	**367·73**	**372·60**	**684·87**	**1141·05**	

* Including cost of Bulldozer etc.

अभियन्त्रण खण्डों की कार्य उपलब्धियाँ

यद्यपि विकास प्राधिकरण में पूर्व में 4 अभियन्त्रण खण्ड थे तथा जुलाई 78 में दो और खण्ड सृजित किए गए थे परन्तु इन खण्डों में पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण (स्थानान्तरण के कारण अथवा रेजिनेशन के कारण) इस वर्ष अभियन्त्रण कार्यों की उपलब्धि खण्ड वार न दर्शा कर सहायक अभियन्ता वार उपलब्धि निकाली गई है जो निम्न प्रकार है :-

		रुपये (लाख में)
(1)	विकास कार्य	120·33
(2)	भवन निर्माण कार्य	54·28
(3)	दूकानों का निर्माण कार्य	9·47
(4)	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	8·05
(5)	भण्डार वस्तुएं	8·50
(6)	भूमि अर्जन कार्य (1/2 खण्ड के बराबर)	32·50
(7)	अधिष्ठान (अभियन्त्रण)	12·08
		245·13

उपरोक्त कार्य पर 9 सहायक अभियन्ता पूरे वर्ष तथा 8 सहायक अभियन्ता माह नवम्बर 78 से कार्यरत रहे। इस प्रकार पूरे वर्ष 12 सहायक अभियन्ता कार्यरत रहे।

अत: प्रत्येक सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया कार्य रु0 20·43 लाख। इससे स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक खण्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भाँति 4 सहायक अभियन्ता पूरे वर्ष कार्यरत रहते तो अभियन्त्रण कार्यों की उपलब्धि रु0 490·26 लाख होती।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये विचारार्थ

टिप्पणी

1- विकास प्राधिकरण द्वारा इस समय बनाये जा रहे एल०आई०जी० मकानों की कीमत रु037.000 तथा एक कमरे के मकानों की कीमत रु08.000/- आती है। अल्प आय वर्ग के हर व्यक्ति के लिये 37.000/- का मकान खरीद पाना संभव नहीं है । परन्तु इससे कम कीमत का मकान इस समय उपलब्ध नहीं है । अब रु08000/- और रु037.000/- मूल्य के बीच कई श्रेणी के भवन बनायें जाने का प्रस्ताव है । तदनुसार एल०आई०जी० मकान की चार डिजाइन तैयार करा ली गई है, जिनके विवरण नीचे . अंकित है ।

2- नियमानुसार भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1250वर्ग फुट होना चाहिये । यदि 1250वर्गफुट पर मकान-निर्माण किया जायेगा तो वर्तमान कीमत पर अल्प आय वर्ग खरीद नहीं पायेगा । अतः छोटे भूखण्डों पर एल०आई०जी मकान-निर्माण प्रस्तावित है ।

3- डिजाइन नं० -1 से 3 को विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजाइन नं04 आवास विकास परिषद द्वारा झाँसी के लिये प्रस्तावित डिजाइन पर आधारित है । चारों डिजाइन के तुलनात्मक अध्ययन से विदित होता है कि जब तक प्लाट का एरिया कम नहीं किया जाता तथा पीछे के सेट बैक पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी तब तक भवन का निर्माण-मूल्य कम नहीं होगा । अतः प्राधिकरण से अनुरोध है कि उपरोक्त कम प्लाट एरिया का तथा रेयर सेट बैक में निर्माण की भी अनुमति देने की कृपा करें ।

क्रम सं0	प्लाट एरिया क्षेत्रफल	प्लिन्थ एरिया वर्गफुट	मकान की कीमत रु0 (अनुमानित)
1)	929	440	30.301
2)	918.9	418.4	29.009
3)	859.9	409.0	28.147
4)	540.2	331.4	21945.0

आय - व्ययक

वर्ष १९७९ - ८०

लखनऊ विकास प्राधिकरण
६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
लखनऊ

मूल बजट अनुमान

1979-80

मूल बजट - 1979-80
की
विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1 से 2
2.	वित्तीय वर्ष 1978-79 के पुनरीक्षित बजट के विरुद्ध उपलब्धियां,	3 से 5
3.	वित्तीय वर्ष 1978-79 की प्रमुख उपलब्धियां	5 से 6
4.	वित्तीय वर्ष 1979-80 के प्रस्तावित आय व्ययक पर टिप्पणी,	7 से 9
5.	वित्तीय समीक्षा (वर्ष 1979-80)	10
6.	वर्ष 1979-80 के प्रमुख कार्यक्रम	11
7.	सामान्य विवरण	12
8.	बजट (एक दृष्टि में)	15
9.	राजस्व एवं पूंजीगत आय (वर्ष 1979-80) का संक्षिप्त विवरण	16
10.	राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (वर्ष 1979-80) का संक्षिप्त विवरण	17
11.	राजस्व एवं पूंजीगत आय का विस्तृत विवरण	18 से 22
12.	उचन्त आय का विवरण	23
13.	राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	24 से 32
14.	उचन्त व्यय का विवरण	33
15.	योजना वार आय का विवरण (वर्ष 1979-80)	34 से 36
16.	भूमि अर्जन, विकास तथा निर्माण कार्यों का विवरण (वर्ष 1979-80)	37
17.	वित्तीय व्यवस्था का विवरण (वर्ष 1979-80)	38
18.	विभिन्न विभागों के अधिष्ठान व्यय का विवरण	39 से 57

लखनऊ विकास प्राधिकरण
का
वर्ष 1979-80 का
आय-व्ययक

****

1- प्रस्तावना

संक्षिप्त इतिहास एवं स्थापना

1.1 आरंभ में लखनऊ नगर के आवास एवं विकास के कार्यों का संचालन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता था। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अर्न्तगत फरवरी 1960 से इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट तथा म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य महापालिका में निहित कर दिये गये और तब से लखनऊ महापालिका द्वारा शहर के आवास एवं विकास कार्यों का संचालन किया जाता रहा।

1.2 नगर की बढ़ती हुई आबादी एवं आवासीय समस्या को सुधारने की दृष्टि से सन् 1973 में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि ऐसे विकासशील क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भाँति उत्तर प्रदेश में भी विकास प्राधिकरणों की स्थापना की जायें। तद्नुसार शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की रचना की गयी एवं उसके अर्न्तगत शासकीय विज्ञप्ति सं० 3923/37-2(वि०प्रा०)-72 दिनांक 11-9-74 द्वारा लखनऊ नगर योजनानुसार विकास हेतु विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका की सीमा के अन्दर का क्षेत्र, तथा महापालिका सीमाओं से 8 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र (कान्टूनमेण्ट क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा जल थल तथा नभ सेना हेतु लिये गये क्षेत्र को छोड़कर) विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना शासकीय विज्ञप्ति संख्या 2892/37-1-21-वि०प्रा०-72 दिनांक 13-9-74 के अर्न्तगत सितम्बर, 13, 1974 से हुई।

1.3 संगठन

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान संगठन निम्न प्रकार है :-

पदेन सदस्य,

(1)	आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ	- अध्यक्ष,
(2)	प्रशासक, नगर महापालिका लखनऊ	- उपाध्यक्ष,
(3)	सचिव, आवास विभाग, उ०प्र०शासन,	- सदस्य,
(4)	सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन,	- सदस्य,
(5)	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ०प्र०शासन,	- सदस्य,
(6)	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम,	- सदस्य,
(7)	जिला अधिकारी, लखनऊ।	- सदस्य,

अशासकीय सदस्य.

(8) अशासकीय सदस्य (एक)

(9) अशासकीय सदस्य (एक)

(10) अशासकीय सदस्य (एक)

1.4 उद्देश्य

प्राधिकरण का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजना के अनुसार विकसित करना और विकास सुनिश्चित करना है तथा उस प्रयोजन के लिये प्राधिकरण को भूमि और अन्य संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और व्ययन करने, निर्माण, इंजीनियरिंग खनन और अन्य क्रियायें कार्यान्वित करने, जल और बिजली के प्रदाय के प्रबन्ध में सकर्म निष्पादित करने, मल का व्ययन करने और अन्य सेवायें तथा सुख सुविधायें उपलब्ध करने का ~~आशय~~ उद्देश्य है । उन्हें बनाये रखने और साधारणतया ऐसे विकास के प्रयोजनों के लिये तथा आनुषंगिक प्रयोजनों के लिये भी यह कार्य करता है ।

1.5 कार्य कलाप

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्य कलापों में निम्नलिखित विषय सम्मलित हैं :

(1) भूमि अर्जन

(2) भूमि का विकास

(3) भवनों का निर्माण

(4) व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण

(5) मलिन बस्ती सुधार एवं निपातन योजना

2- वित्तीय वर्ष 1978-79 के पुनरीक्षित बजट के विरुद्ध उपलब्धियाँ

2.1 आय

2.1.1 वित्तीय वर्ष 1978-79 में प्राधिकरण ने गत वर्षों की अपेक्षा रिकार्ड आय की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार रही ।

(रु० लाखों में)

वर्ष 1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
187.23	287.41	226.65	290.81

इसमें यदि ऋण का अंश जोड़ दिया जायें तो कुल आय निम्न थी ।

(रु० लाखों में)

वर्ष 1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
327.96	833.26	310.94	425.03

2.1.2

	भूमि की बिक्री	भवनों की बिक्री	अन्य	योग
पुनरीक्षित अनुमान	166.95	122.56	85.40	374.91
वास्तविक	129.28	8868	72.85	290.81

आय कम होने के निम्न कारण हैं ।

I) हजरतगंज व्यवसायिक केन्द्र के मुख्य भवन का किराया राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ ।

II) भूमि की बिक्री के अर्न्तगत रु०40लाख की आय का प्राविधान ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों की बिक्री से किया गया था परन्तु ट्रान्सपोर्टस इस क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं थे । अतः उक्त योजना में पंजीकरण की कार्यवाही प्रारंभ न की जा सकी ।

III) भवनों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय में कमी के तीन मुख्य कारण थे :-

क) माह नवम्बर 1978 तक सीमेंट की विभाग में कमी रही जिससे कार्यो में अवरोध उत्पन्न हुआ ।

ख) ~~दूसरे~~ मोतीझील योजना में निम्न आय वर्ग के तीन मंजिले 120भवनों का पंजीकरण किया गया जिसमें बहुत कम भवनों की मॉग हुई जिसके कारण प्रविधानित आय प्राप्ति नहीं हुई ।

ग) अलीगंज योजना में तथा मोतीझील योजना में भवनों के निर्माण हेतु कई बार निविदायें आमंत्रित की गई और काफी ऊँची दरें प्राप्त हुई जिसके कारण कार्य को प्रारंभ न किया जा सका ।

2.2 प्राधिकरण में इस वर्ष तुलनात्मक दृष्टि से रिकार्ड व्यय किया है स्थिति निम्न प्रकार थी:

(रु० लाखों में)

वर्ष 1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
237.03	367.73	372.60	684.87

2.3 व्यय

2.3.1. पुनरीक्षित बजट में कुल रु०1001.07लाख के व्यय का प्राविधान किया गया था प्राविधानित व्यय एवं वास्तविक व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

(रु०लाखों में)

क्रम सं०	व्यय की मदें	पुनरीक्षित 1978-79	वास्तविक 1978-79
1)	अधिष्ठान व्यय	33.89	26.42
2)	मशीनरी एवं स्टोर्स	51.25	25.21
3)	ब्याज एवं ऋणों का प्रतिदान	132.66	159.03
4)	भूमि का अर्जन	242.00	241.50
5)	भूमि विकास	237.25	120.35
6)	भवनों का निर्माण	183.10	54.40
7-	व्यवसायिक केन्द्रों/दुकानों का निर्माण	21.30	9.47
8)	सलम	27.71	8.05
9)	विविध व्यय	71.91	~~40.38~~ 40.44
	योग =	1001.07	684.87

2.3.2 अधिष्ठान व्यय में कमी का कारण यह था कि अभियन्त्रण खंड 5 व 6 का स्टाफ नियुक्ति नही हो पाया । सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति माह नवम्बर 1978 में तथा अवर अभियन्ताओं का चयन माह मार्च, 1979 में हो पाया ।

2.3.3 मशीनरी एवं स्टोर्स के व्यय में कमी का कारण ~~यह था कि~~ अपेक्षित सीमेंट शासन से समय से आवंटित न होना रहा । साथही माह फरवरी तक आय की प्रगति धीमी होने के कारण मशीनरी (जीप, रोड रोलर आदि) का क्रय नहीं किया गया ।

2.3.4 ब्याज एवं ऋणों के प्रतिदान में वास्तविक व्यय की वृद्धि का कारण सेन्ट्रल बैंक का रु०40लाख का ऋण Premature भुगतान कर देना था जिससे प्राधिकरण की 15% वार्षिक ब्याज की उच्च दर के भार से बच सके ।

2.3.5 भूमि विकास, भवन निर्माण तथा व्यवसायिक केन्द्रों/ दुकानों के निर्माण में ~~प्राविधानित~~ आवंटित से कम व्यय होने के निम्नलिखित मुख्य कारण है :-

क) माह नवम्बर, 1978 तक सीमेंट की कमी ।

ख) कई कई बार निविदायें आमंत्रित की गई और अधिक ऊँची दरों पर निविदायें आने के कारण उनको फाइनलाइज नहीं किया जा सका । फलस्वरूप कुछ कार्य प्रारंभ नहीं हो पाये ।

ग) कानपुर रोड योजना में हिन्द नगर वाले भाग पर ~~शासन द्वारा कब्जा लेना~~ स्टे होने के कारण मुख्य मार्गों का निर्माण कार्य नहीं हो पाया ।

भूमि की बिक्री से आय
वर्ष 1979-80 में

कुल रु0 147.67 लाख

1- अलीगंज योजना

क- भूखण्ड

1- एफ सेक्टर	2,02,500 वर्ग फुट	5.30 प्रति वर्ग फुट	रु0 5,37,000/=	50 प्रतिशत
2- 'के' सेक्टर	6,07,500 वर्ग फुट	5.30 प्रति वर्ग फुट	रु0 21,00,000/=	शेष धनराशि 1978-79 के बजट में रिकवर किया गया है।
3- कामर्शियल प्लाट्स सेक्टर 'एफ' एवं 'एच'	3,24,000 वर्ग फुट	5.50 प्रति वर्ग फुट	रु0 17,82,000/=	
4- अलीगंज फेज - 2	2,83,500 वर्ग फुट	लम्प सम	रु0 25,00,000/=	
5- वर्ष 1978-79 के प्रीमियम का ऐरियर		लम्प सम	रु0 10,00,000/=	
6- स्कूल के लिये भूमि की बिक्री		लम्प सम	रु0 3,00,000/=	
		योग =	रु0 82,19,000/=	

2- कानपुर रोड

बिक्री योग्य क्षेत्रफल	3,50,000 वर्ग मीटर	107.60 प्रति वर्ग मीटर	रु0 376.60 लाख
			15 प्रतिशत अग्रिम
			= रु0 56.49 लाख
		योग =	रु0 147.67 लाख

घ) प्राविधिक स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण स्टाफ की कमी ।

2.4 ऋणों की प्राप्ति

(रु०लाखों में)

	केन्द्र/राज्य सरकार से ऋण	राज्य सरकार से अनुदान	हडको से	योग
पुनरीक्षित	10.50	8.85	4.105	23.455
वास्तविक	131.875	2.35	-	134.225

सरकार से प्राप्त ऋण में रु070लाख आई०यू०डी०पी० के अर्न्तगत (भारत सरकार द्वारा) तथा रु057.866लाख अंशदान राजकीय सरकार से प्राप्त हुआ ।

2.5 ऋणों का प्रतिदान

दिनांक 1-4-78 को रु0892.73लाख के ऋणों का अवशेष था (जिसका पूर्ण विवरण अगे पृष्ठ 9 पर दिया गया है) । वर्ष 1978-79 में रु070.90लाख का प्रतिदान किया गया जिसमें रु040लाख बैंक ऋण का प्रतिदान भी सम्मलित है जो Premature था । यह ऋण 15% ब्याज पर थे । इसमें प्रति वर्ष 6लाख रु० ब्याज नही देना पड़ेगा ।

2.6 प्रमुख उपलब्धियाँ High Lights

2.6.1 ट्रांसपोर्ट नगर

वर्ष 1977 में अभिकल्पन तथा मई 1977 में भूमि अर्जन उपरान्त योजना का क्रियान्वन शासकीय आदेशो के अनुरुप रोक दिया गया था । पुनः अनुमति प्राप्त कर अगस्त'78 में कार्य प्रारम्भ किया गया तथा मार्च, 79 तकरु34.05लाख के कार्य किये गये । इस वर्ष में मुख्य कार्य समाप्त कर दिये जायेगें ।

2.6.2 मोतीझील योजना

14वर्ष पुरानी इस योजना को पुर्नजीवितकर 1978-79 में कार्य आरम्भ किया गया । इस योजना के लिये मर्केट सर्वे कराया गया तथा अब योजना के ले. आउट को तद्नुसार संशोधित किया जा रहा है । इस योजना में विभागीय निर्माण ईकाई द्वारा कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ।

2.6.3 भूमि अर्जन

इस वर्ष विगत वर्षो की अपेक्षा रिकार्ड भूमि अर्जित की गई ।

	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
वित्तीय (रु० लाखों में)	36.00	48.87	34.57	241.50
भौतिक (एकड़ में)	54	144	410	460

2.6.4 दुकानों का निस्तारण

150 दुकानों का निस्तारण इस वर्ष किया गया जिनकी स्थिति निम्नवत् है :-

अलीगंज	महानगर	हजरतगंज	नक्खास
26	17	104	3

2.6.5 केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण को ही आई०यू०डी०पी० योजना के अंतर्गत भारतसरकार से ऋण प्राप्त हुआ । ~~पूर्ववर्ती~~ साथ ही राज्य सरकार से अंशदान के रुप में रु० 57.866 लाख प्राप्त हुआ ।

2.6.6 भूमि/भवनों के आवेदकों को जमा धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज देने का निर्णय लिया गया ।

2.6.7 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभियन्त्रण कार्यों के लिये महापालिका की पुरानी पद्धति के बजाय सार्वजनिक निर्माण विभाग में अपनाई जाने वाली पद्धति को लागू करने का निर्णय लिया गया ।

2.6.8 भवनों/व्यवसायिक केन्द्रों का मार्केट एवं डिमाण्ड सर्वे का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

2.6.9 विभाग द्वारा अभियन्त्रण कार्यों के निष्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया ।

2.6.10 पुराने मकानों के किराये की वसूली संतोषजनक न होने के कारण इसकी वसूली 1-4-79 से बैंक के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया

2.6.11 भविष्य में भूखण्डों को फ्रीहोल्ड के आधार पर विक्रय का निर्णय लिया गया

2.6.12 महानगर गृह योजना में कार्मशियल प्लाट्स रु० 57/- प्रतिवर्ग फुट पर बेंचा गया जबकि दिल्ली महानगरी में रु० 80/- प्रतिवर्ग फुट पर बेंचा गया

2.6.13 सर्वप्रथम आई०यू०डी०पी० लोन की कार्मशियल एकाउंटिंग के द्वारा असेट्स/लाइबिल्टीज की स्थिति निकाली गई ।

2.6.14 निराला नगर में मार्ग दर्शक मानचित्रों द्वारा नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराई गई ।

3- वित्तीय वर्ष 1979-80 का प्रस्तावित आय-व्ययक

3.1 आय

(रु० लाखों में)

भूमि की बिक्री	भवनों की बिक्री	अन्य आय	योग
147.67	78.42	64.99	291.08

भूमि की बिक्री/भवनों की बिक्री से अनुमानित आय का विवरण पृष्ठ. 34... से... 36 पर दिया है। अन्य आय में भवनों/दुकानों का किराया, प्रीमियम, पट्टों का अभिशुल्क एवं भवन चित्र एवं तावान शुल्क से अनुमानित आय सम्मिलित है।

3.2 व्यय

व्यय की प्रमुख मदें निम्नवत् हैं ।

3.2.1 भूमि अर्जन

क- अलीगंज योजना में घोषित क्षेत्रफल 923 एकड़ के विरुद्ध 31 मार्च, 1979 तक 784 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। शेष 139 एकड़ इस वित्तीय वर्ष में अर्जित करने का प्रस्ताव है। अलीगंज योजना फेज-3 में लगभग 1000 एकड़ भूमि अर्जित करने की कार्यवाही का ~~प्राविधान किया गया है~~। प्रस्ताव है।

ख- कानपुर रोड योजना में घोषित क्षेत्रफल 565.31 एकड़ के विरुद्ध 31 मार्च, 1979 तक 444.65 एकड़ भूमि का कब्जा लिया जा चुका है तथा 472.35 एकड़ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव इस वित्तीय वर्ष में है ।

ग) नैपियर रोड एवं अन्य योजनाओं में लगभग 150एकड़ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव इसी वित्तीय वर्ष में है ।

घ) भूमि अर्जन के लिये प्रतिकर भुगतान रु०220लाख का प्राविधान किया गया है जिसमें से रु०60लाख अलीगंज योजना में, रु०120लाख कानपुरा रोड योजना में, रु०40लाख नैपियर रोड तथा अन्य योजनाओं में भुगतान करने का प्राविधान कियागया है।

3.2.2 भूमि विकास

प्राविधान :

अलीगंज	कानपुर रोड	मोतीझील	अन्य योजनायें(नई)	ग्राम	पुरानी योजनाये	योग
122.00	66.00	10.50	28.50	19.12	22.71	268.83

उपरोक्त व्यय का विस्तृत विवरण पृष्ठ 29/31 पर दिया हुआ है ।

3.2.3 भवन निर्माण

इस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित भवनों के निर्माण का कार्यक्रम है ।

(रु० लाखों में)

विवरण	अलीगंज योजना		कानपुर रोड योजना		मोतीझील योजना		अन्य योजनायें		कुल योग	
	सं०	लागत	सं०	लागत	सं०	लागत	सं०	लागत	सं०	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1- साइट एण्ड सर्विसेज	800	12.00	500	7.50	300	4.50	1000	15.00	2600	39.00
2- ई०डब्लू० एस०	500 ओल्ड	25.00 16.00	200	10.00	150	7.50	301	21.77	1151	80.27
3- निम्न आय वर्ग	420	48.00	2 00	16.00	144 ओल्ड	2000 5.00	ओल्ड	2.00	764	91.00
4- मध्य आय वर्ग	196 ओल्ड	51.55 5.00	-	-	-	-	2	6.50	221	63.05
5- उच्च आय वर्ग	20	10.00	-	-	-	-	टोकेन	0.50	20	10.50
योग =		167.55		33.50		37.00		45.77		283.82

नोट - ओल्ड से तात्पर्य गत वर्षों के पेन्डिंग भुगतानों से है ।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में दुर्बल आय वर्ग ~~के~~ तथा निम्न आय वर्ग के लिये भवनों व प्लाट्स का प्रस्ताव किया गया है ।

प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्योरा बजट पृष्ठ सं०. 30. पर दिया हुआ है ।

3.3. ऋण एवं ब्याज

3.3.1 प्राधिकरण द्वारा लिये गये ऋण तथा अब तक शेष धनराशि का विवरण निम्नवत् है ।

विवरण	दिनांक 1-4-78 की स्थिति	वर्ष 1978-79 में प्राप्त ऋण	वर्ष 1978-79 में ऋणों का प्रतिदान	दिनांक 1-4-79 की स्थिति
1- शासन से ऋण				
क) इनहेरीटेड	124.80	-	6.17	118.63
ख) प्राधिकरण द्वारा लिये गये ऋण	432.41	131.87	6.59	557.69
2- डिबेन्चर्स	206.00	-	-	206.00
3- हडको से ऋण	89.52	-	18.14	71.38
4- बैंक से ऋण	40.00	-	40.00	-
योग =	892.73	131.87	70.90	953.70

3.3.2 रु० 40लाख जो बैंक ऋण लिया गया था, उसका पूर्ण प्रतिदान दिनांक 31-3-79 तक Prematurely कर दिया गया है ।

3.3.3 इस वर्ष मूलधनों के प्रतिदान हेतु रु० ~~25.50~~ 29.09 लाख, ब्याज के भुगतान हेतु रु० ~~71.00~~ 84.86 लाख तथा निक्षेप निधि के भुगतान हेतु० रु०9.08लाख का प्राविधान किया गया है । इसके अतिरिक्त रु०10लाख का प्राविधान सीड कैपिटल ऋण के प्रतिदान के लिये सिंकिंग फण्ड खोलने हेतु किया गया है ।

3.4 अधिष्ठान व्यय

इस वित्तीय वर्ष में रु०41.50लाख के अधिष्ठान व्यय का प्राविधान किया गया है यद्यपि गत वर्ष रु०26.40 लाख का व्यय हुआ था । इस वर्ष अधिक प्राविधान होने का कारण यह है कि अभियन्त्रण खंड-5 और 6 के व्यय भार, भूमि अध्याप्ति अधिष्ठान तथा आर्वतक 20% बढ़ोत्तरी तथा 10%अप्रत्याशित बढ़ोत्री सम्मलित है ।

4) वित्तीय समीक्षा

4.1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की आय का मुख्य वित्तीय श्रोत, भवनों/दुकानों का किराया, भवन चित्र एवं तावान शुल्क, भूखंड/भवन के विक्रय से प्राप्त धन एवं शासन से ऋण / हडको से ऋण तथा अन्य संस्थागत ऋण हैं । वर्ष 1979-80 में कुल आय निम्न प्रकार अनुमानित है ।

(रु० लाखों में)

भूमि की बिक्री	भवनों की बिक्री	अन्य आय	योग
147.67	~~84.53~~ 78.42	~~58.88~~ 64.99	291.08

4.2 वर्ष 1979-80 में कुल व्यय रु० 1141.05 लाख अनुमानित है इसकी मुख्य मदें निम्न प्रकार हैं :-

मद	अनुमानित व्यय (रु० लाखों में)	विस्तृत विवरण पृष्ठ....पर
I) अधिष्ठान व्यय	41.50	24 व 27
II) मशीनरी एवं स्टोर्स	56.50	25 व 32
III) ब्याज एवं ऋणों का प्रतिदान	133.03	25 व 28
IV) भूमि का अर्जन	220.00	28
V) भूमि का विकास	249.71	25, 26, 29, 31
VI) भवन निर्माण	267.55	30
VII) व्यवसायिक केन्द्र	80.00	31
VIII) सलम	35.39	31
IX) विविध व्यय	57.37	18, 24, 26, 27, 32
योग रु०=	1141.05	

4.3 व्यय के श्रोत.

उपरोक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्न श्रोत हैं :-

श्रोत	धनराशि (रु० लाखों में)	~~विवरण पृष्ठ....पर~~
I) प्रारंभिक अवशेष (1-4-79)	341.49	
II) वर्ष 1979-80 में आय	291.08	
III) ऋण/अनुदान:		
क) भारत सरकार से (आई०यू०डी०पी०)	100.00	
ख) राज्य सरकार से	21.87	
ग) हडको से	87.00	
घ) ऋण मांग पत्र (प्रदेश सरकार से अनुरोध पर)	300.00	
योग =	1141.44	

5. वर्ष 1979-80 के प्रमुख कार्यक्रम

5.1 इस वर्ष लगभग 822.35 एकड़ भूमि अर्जित करना प्रस्तावित है:

अलीगंज	कानपुर रोड	अन्य योजनायें	योग
200	472.35	150	822.35

5.2 इस वर्ष आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये समुचित आवासीय सुविधा देनें हेतु 4515 भवन निर्मित करनें का प्रस्ताव है।

5.3 मलिन बस्ती निपातन योजना में हाता रसूल खां, हाता लक्ष्मण दास तथा हाता सरजू प्रसाद में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इन हातों में मुख्यतवः साईट सर्विसेज के भूखण्ड एवं जनता भवन बनाये जानें का प्रस्ताव है।

5.4 इस वर्ष अलगंज योजना में नई दुकानें निर्माण करानें का प्रस्ताव है। साथ ही छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र तथा आर0टी0ओ0 व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ करनें का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त नगर में क्यास्क का निर्माण तथा महानगर गोल मार्केट, निराला नगर तथा जनपथ मार्केट में अतिरिक्त कार्यालयों का निर्माण प्रस्तावित है।

5.5 निर्माण कार्य ~~[illegible]~~ द्रुतिगति से चलानें हेतु प्रमुख निर्माण सामग्री का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 अभियन्त्रण कार्यों पर नियन्त्रण के लिये एक टेकनिकल सेल का गठन किया जा रहा है जो कार्य में प्रयोग की जा रही सामग्री के नमूने लेकर जांच करायेगा।

5.7 अलीगंज नगर प्रसार एवं विस्तार योजनाओं के निवासियों को यातायात सुविधा के लिये अलीगंज, हज़रतगंज, एवं चारबाग़ स्टेशन के बीच टैक्सियों को नो-प्राफिट-नो लास पर चलाया जाना प्रस्तावित है।

5.8 विकास प्राधिकरण कार्यालय में एक स्वागत कक्ष की स्थापना करके जनता को विकास प्राधिकरण द्वारा चालू योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना।

5.9 सम्पत्ति एवं स्टोर का प्रबन्ध सम्पत्ति मार्केटिंग अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्टोर के पदों का सृजन करने का प्रस्ताव है।

6. सामान्य विवरण:

6.1 यद्यपि वर्ष 1978-79 में गत वर्षों की अपेक्षा रिकार्ड आय एवं व्यय हुआ जिसका विवरण पहले ही दिया जा चुका है। साथ ही जिन दुकानों का निस्तारण 1-4-78 से पूर्व नहीं हो पाया था उनका निस्तारण वर्ष 1978-79 में किया गया था और अब थोड़ी दुकानें अनिस्तारित हैं

.........12...

जिनकी स्थिति निम्नलिखित चार्ट में स्पष्ट है:-

क्रम सं0	योजना	कुल दुकानें	1-4-78 तक निस्तारण	78-79 में निस्तारण	शेष
1 -	जनपथ	104	-	104	-
2 -	अलीगंज	36	10	26	-
3-	महानगर गोल मार्केट	18	-	13	5
4 -	महानगर विस्तार	6	-	4	2
5 -	नक्खास : पुरानी	148	144	9	4
6 -	नई (1978-79 में निर्मित)	40	-	3	37

6.2 इस समय विकास प्राधिकरण में प्रशासनिक विंग में एक सचिव, एक अतिरिक्त सचिव तथा एक सहायक नगर अधिकारी ही हैं, जबकि कानपुर विकास प्राधिकरण में एक सचिव, एक अतिरिक्त सचिव, 3 संयुक्त सचिव एक उप निदेशक (सम्पत्ति) तथा कई सहायक नगर अधिकारी हैं। अत: प्राधिकरण में योजनाओं को सफलतापूर्वक चलानें के लिये संगठनात्मक एवं सुदृढीकरण की आवश्यकता है ।

6.3 विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति इस स्तर पर आ जाय कि निर्मित संपत्ति से प्राप्त आय से ही योजनायें संचालित हो सकें, इसके लिये अभी कुछ वर्ष लगेंगे क्योंकि प्राधिकरण द्वारा निर्मित संपत्तियां धीरे धीरे ही लाभ देंगी, तब तक के लिये प्राधिकरण को बाहरी ऋण पर निर्भर रहना पड़ेगा। वर्ष 1979-80 में प्रस्तावित व्यय की पूर्ति हेतु यह प्रस्ताव है कि रू0 300 लाख के सुरक्षित ऋण मांगें पत्र शासन से कुल ऋण प्राविधान के अंश के रूप में जारी किया जाय। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इस वित्तीय वर्ष में आई0यू0डी0पी0 ऋण रू0 100 लाख तथा हडको से रू0 87 लाख का उपलब्ध हो जाय। इस प्रकार रू0 487 लाख का विभिन्न स्रोतों से ऋण प्रस्तावित है।

6.4 लखनऊ विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति स्पष्ट करनें हेतु गत वर्षों के आय - व्यय का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "क" तथा "ख" (पृष्ठ 13 व 14) में दिया गया है।

(जमील - उर - रहमान) सहा0 ले0 अ0.	(के0 बी0 सक्सेना) कास्ट एकाउन्टेन्ट	(एस0 पी0 गौड़) सचिव

अनुलग्नक "क"

वर्ष 1975-76 से वर्ष 1978-79 तक की आय का संक्षिप्त विवरण

क्रमसं०	आय की मदें	वास्तविक (1975-76)	वास्तविक (1976-77)	वास्तविक (1977-78)	वास्तविक (1978-79)
		1	2	3	4
(1)	राजस्व				
(2)	प्लाटों का अधिशुल्क	2.48	2.17	1.97	1.65
(2)	भवनों/दुकानों का किराया एवं प्रीमियम	13.65	13.92	13.76	21.02
(3)	भवनचित्र तथा तावान शुल्क आदि	2.18	2.33	3.35	3.86
(4)	अन्य प्राप्तियां	16.10	17.60	21.94	~~19.58~~ 19.62
	योग	34.41	36.02	41.02	46.15
(1)	पूंजीगत				
क	आय:-				
1-	भूमि की बिक्री से आय	80.41	133.54	56.83	129.28
2-	भवनों की बिक्री से आय	67.95	115.13	92.58	~~188.72~~ 88.68
3-	अन्य प्राप्तियां	4.46	2.72	36.22	26.70
	योग: (क)	152.82	251.39	185.63	~~244.70~~ 244.66
	महायोग:	187.23	287.41	226.65	290.81
ख-	ऋण/अनुदान				
	शासन से प्राप्त ऋण	55.00	270.00	51.00	131.875
	शासन से प्राप्त अनुदान	4.63	6.00	×	2.35
	हडको से प्राप्त	61.10	43.85	33.29	-
	ऋण मांग पत्र	-	206.00	×	-
	अन्य संस्थागत	20.00	20.00	×	-
	योग (ख)	140.73	545.85	84.29	134.225
	योग क+ख	293.55	797.24	269.92	378.925
	योग 1+2	327.96	833.26	310.94	425.035

अनुलग्नक "ख"

वर्ष 1975-76 से वर्ष 1978-79 तक व्यय का विवरण

क्रमसं०	व्यय की मदें	1975-76 (वास्तविक)	1976-77 (वास्तविक)	1977-78 (वास्तविक)	1978-79 (~~अनुमानित~~ वास्तविक)
1	2	3	4	5	6
1-	अधिष्ठान व्यय	13.09	15.33	23.92	26.42
2-	मशीनरी एवं स्टोर्स	4.22	4.35	13.73	25.21
3-	ब्याज एवं ऋणों का प्रतिदान	53.62	54.96	119.49	159.03
4-	भूमि का अर्जन				
	1- अलीगंज	35.00	45.00	15.00	114.00
	2- कानपुर रोड योजना	-	-	15.00	127.50
	3- अन्य योजनाएं	1.00	3.87	4.57	-
5-	विकास कार्य				
	1- अलीगंज योजना	28.20	58.90	33.34	75.09
	2- कानपुर रोड योजना	-	0.24	0.75	34.05
	3- अन्य योजनाएं	3.20	1.22	0.04	11.21
6-	भवनों का निर्माण				
	1- अलीगंज योजना	47.43	83.80	25.59	44.84
	2- कानपुर रोड योजना	-	-	-	0.01
	3- मोतीझील योजना	-	-	-	6.36
	4- पेपर मिल योजना	-	-	-	3.19
	5- अन्य योजनायें	—	—	—	—
7-	व्यवसायिक केन्द्रों/दुकानों का निर्माण				
	1- पुराना डाक घर हजरतगंज	15.04	48.12	72.67	4.05
	2- नक्खास	-	3.13	2.66	2.11
	3- अलीगंज	2.13	5.53	0.21	2.02
	4- सिन्डर्स डम्प आलमबाग	-	-	0.85	1.29
	5- छितवापुर	-	-	-	
	6- आर०टी०ओ०	-	-	-	-
	7- स्लम (Slums)	13.11	9.95	7.14	8.05
	8- विविध व्यय	20.99	33.33	37.64	40.44
	योग-	237.03	367.73	372.60	684.87

वर्ष 1979-80 का आय-व्ययक (एक दृष्टि में)

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	विवरण	पुनरीक्षित बजट 1978-79	मूल बजट 1979-80	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1)	प्रारम्भिक अवशेष	607.21	341.49	-
2)	राजस्व प्राप्तियाँ	68.91	60.89	विवरण पृष्ठ 16. पर
3)	पूँजीगत प्राप्तियाँ	* 329.46	230.19	विवरण पृष्ठ 16. पर
	योग =	1005.58	632.57	
4)	राजस्व व्यय	73.91	90.85	विवरण पृष्ठ 17. पर
5)	पूँजीगत व्यय	927.16	1050.20	विवरण पृष्ठ 17. पर
	योग =	1001.07	1141.05	
	(+) आधिक्य / (-) घाटा	(+) 4.51	(-) 508.48	

* इसमें रु०23.45लाख का ऋण सम्मलित है ।

राजस्व व पूँजीगत आय

वर्ष 1979-80 में

(रु० लाखों में)

क्रम सं० 1	आय की मदें 2	मूल बजट 1979-80 3	विवरण पृष्ठ 4
	राजस्व :		
(1)	पट्टों का अधिशुल्क	5.40	18
(2)	भवनों/दुकानों का किराया एवं प्रीमियम	44.66	18
(3)	भवनचित्र तथा तावान शुल्क आदि	6.08	19
(4)	अन्य प्राप्तियाँ	~~4.75~~ 4.75	19
	योग :	60.89	
	पूँजीगत (ऋण/अनुदान छोड़कर)		
1)	भूमि की बिक्री से आय	147.67	21
2)	भवनों की बिक्री से आय	78.42	21
3)	अन्य प्राप्तियाँ	4.10	21
	योग :	230.19	
	महायोग :	291.08	
	प्रारम्भिक अवशेष (1-4-79)	341.49	
	धनराशि उपलब्ध (ए)	632.57	
	घाटा	(-) 508.48	
	प्रस्तावित ऋण:		
1)	राज्य सरकार से	121.87	22
2)	हडको से	87.00	22
3)	डिबेन्चर्स	300.00	22
	योग (बी)	508.87	
	कुल योग (ए + बी)	~~1141.34~~ 1141.44	

राजस्व व पूंजीगत व्यय वर्ष 1979-80 में ।

(रु० लाखों में)

क्रमसं०	व्यय की मदें	मूल बजट 1979-80	विवरणपृष्ठ
1	2	3	4
राजस्व :			
(1)	अधिष्ठान व्यय	18.02	24
(2)	संयोगिक व्यय	15.87	24
(3)	विकास कार्य (पुरानी योजनाएं)	22.71	25-26
(4)	पुराने ऋणों पर ब्याज/प्रतिदान	17.45	25
(5)	अन्य व्यय	16.80	24 से 26
	योग:	90.85	
पूंजीगत :			
(1)	अधि० व्यय (अभियन्त्रण)	23.48	27
(2)	ऋणों पर ब्याज/प्रतिदान निक्षेप निधि की भुगतान	115.58	28
(3)	भूमि अर्जन	220.00	29
(4)	भूमि विकास	223.00	29
(5)	भवन निर्माण	267.55	30
(6)	व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों का निर्माण	80.00	31 31
(7)	स्लम योजनायें	35.39	32
(8)	मशीनरी एवं स्टोर्स	50.00	27-32.
(9)	अन्य व्यय	35.20	
	योग:	1050.20	
	महायोग:	1141.05	

आय

क्रम सं0 आय के शीर्षक	वास्तविक आँकड़े 1978-79	पुनरीक्षित बजट अनुमान 1978-79	मूल बजट अनुमान 1979-80	भिन्नता का कारण
क- राजस्व लेखा प्रारम्भिक अवशेष	298,45,445	6,07,21,141	3,41,49,355	
1- लीज रेन्ट				
क) पुरानी योजनायें	1,65,230	4,00,000	3,40,000	चालू माँग रु02·40लाख + अवशेष रु05·00लाख का 20%
ख) अलीगंज	-	-	2,00,000	चालू माँग रु01·26लाख + अवशेष रु01·44लाख का 50%
2- भूमि की बिक्री (पुरानी योजनाएं)	11,01,646	8,30,000	93,000	पुरानी योजनाओं में अब बहुत थोड़े भूखण्ड उपलब्ध है।
3- भवनों तथा दुकानों का किराया				
क) भवनों का हायर परचेज पर विक्रय	1,50,878	1,50,000	1,00,000	चालू माँग रु0 0·64 लाख + अवशेष रु, 0·36 लाख
ख) भवनों का किराया	11,68,271	15,00,000	17,00,000	चालू माँग रु0 13·00 लाख + अवशेष रु, 10·00 लाख का 40%
ग) दुकानों का किराया				
I- हजरत गंज	21,417	11,69,000	22,00,000	गत वर्ष + वर्तमान वर्ष का किराया
II- सिन्डर्स डम्प (आलमबाग)	-	-	-	
III- अलीगंज	-	-	25,000	विभिन्न स्थलों पर अधिकतर दुकानें वर्ष के अन्त में आबंटित हुई अत: चालू वर्ष के किराये का अनुमान लगाया गया है।
IV- महानगर	-	-	10,000	
V- आई0टी0 कालेज	11,501	31,000	10,000	
VI- बक्शीस तथा अन्य	16,122	75,000	21,000	
4- दुकानों का प्रीमियम				
I- हजरत गंज काम्पलेक्स	6,48,215	2,00,000	2,00,000	हजरतगंज में शो रूम से प्रस्तावित प्रीमियम सिन्डर्स डम्प में अनुमानित प्रीमियम
II- सिन्डर्स डम्प (आलमबाग)	-	1,99,000	2,00,000	
III- आई0टी0कालेज	57,990	84,000	-	
IV- अन्य	28,627	1,58,000	-	

1	2	3	4	5	6
5-	अचल सम्पत्तियों पर शुल्क	-	2,00,000	1,00,000	शासनादेश के अनुसार 2 % पंजीकरण शुल्क प्रस्तावित है।
6-	शुल्कों से आय				
I-	भवन चित्र शुल्क	1,79,107	2,00,000	2,00,000	तावान शुल्क में गतवर्ष जो नोटिसें जारी की गई थी उनकी धनराशि प्राप्त नहीं हो पायी जिनको सम्मिलित करके इस वर्ष प्राविधान किया गया है।
II-	तावान शुल्क	1,99,466	4,00,000	4,00,000	
III-	अनुज्ञप्ति शुल्क	6,850	7,000	7,000	
IV-	अन्य शुल्क	1,406	1,500	1,500	
7-	अन्य प्राप्तियाँ				
I-	रेजीडेन्सी शुल्क	6,926	6,000	6,000	
II-	नजूल से प्राप्तियाँ	1,25,000	1,00,000	75,000	यह अंशदान नजूल अनुदान से लिया जाता है।
III-	भूमि का अस्थाई किराया	-	-	-	
IV-	बाजार मंडियों से आय	1,05,340	2,25,000	1,00,000	
V-	अर्जित सम्पत्तियों से प्राप्त सामान की बिक्री से आय	-	-	-	
VI-	जमानतों की धनराशि	-	-	-	
VII-	विविध प्राप्तियाँ (व्याज)	-	-	-	
VIII-	घास फूल फल की बिक्री	-	5,000	1,000	
IX-	अधिष्ठान संबंधी अनुदान/ अंशदान	-	2,00,000	-	गत वर्ष शासन से अनुदान प्राप्त न होने के कारण इस वर्ष कोई प्राविधान नहीं किया गया है।
IX-	डिपाजिटस पर व्याज	-	-	-	
XI-	अन्य प्राप्तियाँ	6,20,866	7,50,000	1,00,000	गत वर्षों में अलीगंज योजना से रु0 5·00 लाख राजस्व इस मद में स्थानान्तरित करके रखा जाता था। इस वर्ष समस्त राजस्व की मदों को एक ही स्थान पर रखे जाने के कारण प्राविधान केवल विविध आय तक ही सीमित है।

1	2	3	4	5	6
8-	लेखों से स्थानान्तरण				
	I- पूंजी लेखों से राजस्व लेखा में स्थानान्तरण	-	1,14,22,000	29,95,500	
	II- डिपाजिट कार्यों पर प्रशासनिक व्यय				
	III- रेमिटेन्सेज				
	कुल राजस्व आय	46,14,858	1,83,12,500	90,85,000	

1	2	3	4	5	6
	ख- पूँजी लेखा				
9-	सम्पत्ति की बिक्री				
1.	भूमि की बिक्री से आय				1- गत वर्ष भवनों की बिक्री से आय कम होने के कारण पृष्ठ ....3... पर दिये जा चुके हैं। 2- भूमि की बिक्री से प्रस्तावित आय का विवरण पृष्ठ संख्या..35.... पर दिया हुआ है। 3- इस वर्ष भूमि/ भवनों की बिक्री से आय विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति पर निर्भर करेगी। इस संबंध में इस वर्ष निम्नलिखित प्रमुख प्रयास किये जा रहे हैं :- (क) विभागीय निर्माण ईकाई द्वारा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। (ख) मुख्य सामग्री जैसे लोहा, ईंटे, सीमेन्ट, पाइप आदि का प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। (ग) पर्ट चार्ट बनवाकर समयबद्ध रूप से कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
क-	अलीगंज	1,28,75,869	1,26,05,000	82,19,000	
ख-	कानपुर रोड	-	40,00,000	56,49,000	
ग-	मोतीझील	-	-	-	
घ-	अन्य	52,361	90,000	8,99,000	
2.	भवनों की बिक्री से आय				
क-	भवनों का पूर्ण विक्रय				
(I)	अलीगंज	39,44,316	55,95,000	21,10,000	
(II)	कानपुर रोड	-	-	-	
(III)	मोती झील	-	-	-	
(IV)	पेपर मिल	4,12,984	3,99,000	13,75,000	
ख-	हायर परचेज पर विक्रय				
(I)	अलीगंज	41,82,277	54,36,000	26,20,000	
(II)	कानपुर रोड	-	-	-	
(III)	मोती झील	3,33,000	8,26,000	7,77,000	
(IV)	अन्य/अदातानों से	-	-	7,60,000	
(V)	अन्य योजनाएं			2·00·000	
3-	ब्याज तथा अन्य प्राप्तियां	26,65,316	16,50,000	4,10,100	विगत वर्ष लगभग 3 करोड़ रुपया वर्ष की कुछ अवधि में विनियोजित रहा। अत: ब्याज अधिक प्राप्त हुआ इस वर्ष कम विनियोजन होने के कारण ब्याज कम प्राप्त हो सकेगा।
(I)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(II)	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	

1	2	3	4	5	6
10-	शासन से ऋण				
	I- मलिन बस्ती सुधार योजना	3,00,000	9,50,000	13,27,000	
	II- अन्य योजनायें	1,28,87,500	1,00,000	1,00,00,000	भूमि अर्जन, भूमि विकास तथा भवनों के निर्माण (साइट एवं सर्विसेज तथा निम्न आय वर्ग) कार्यों के लिये ऋण लेने का प्रस्ताव है ।
11-	शासन से अनुदान				
	I- जनता गृहनिर्माण योजना	-	6,50,000	-	
	II- गन्दी बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	2,35,000	2,35,000	8,60,000	
12-	संस्थागत ऋण				
	I- हडको से ऋण	-	4,10,500	87,00,000	
	II- बैंको से ऋण	-	-	-	
	III- ऋण बांड पत्र	-	-	3,00,00,000	
	IV- अन्य लेखों से स्थानान्तरण	-	(-) 1,14,22,000	(-) 29,95,500	
	पूँजी खाते का योग	3,78,88,623	2,15,24,500	709,10,600	
	महायोग क + ख	4,25,03,481	3,38,37,000	799,95,600	
	उचन्त लेखे से स्थानान्तरित (+)	2,97,87,449	-	-	
	प्रारम्भिक अवशेष	2,98,45,495	6,07,21,141	341,49,355	
	महा योग	10,21,36,425	10,05,58,141	1141,44,955	

ग- उचन्त लेखा

1	2	3	4	5	6
	प्रारम्भिक अवशेष	95,849	95,849	85,398	उचन्त लेखे में अवशेष अतालन कजे हेतु लेखे रखे जाते है। राजस्व/पूँजी आय से निक्रियोजन तथा अन्य अग्रिम तथा निक्षेपों के लेखे रखे जाते हैं। इसका कोई प्रभाव राजस्व/ पूँजी लेखों पर नहीं पड़ता है।
14-	भूमि की बिक्री हेतु बयाना				
I-	अलीगंज	–	–	–	
II-	अन्य	–	–	–	
15-	अन्य निक्षेप				
क-	विकास कार्यों हेतु				
I-	जनता (II) संस्थाओं हेतु				
III-	शासन से	23,835	5,50,000	2,00,000	
ख-	भवनों/दुकानों के निर्माणार्थ				
I-	जनता				
II-	संस्था द्वारा	90,900			
III-	शासन द्वारा				
16-	ठेकेदारों की प्रतिभूतियां	–	1,60,000	1,00,000	
17-	पूँजी लेखे/अन्य लेखों से अग्रिम प्राप्ति एवं				
	अन्य अग्रिमों की वापसी	1,31,54,824	1,40,00,000	10,00,000	
18-	विनियोगों का आहरण	3,03,75,646	3,05,00,000	10,00,000	
19-	निक्षेप निधि में प्राप्तियां	–	–	–	
	योग	4,37,41,054	4,53,05,849	23,85,398	
	राजस्व को स्थानान्तरित	(-) 297,87,449			
		13953605			
	महायोग क+ ख + ग +	11,60,90,030	14,58,63,990	11,65,30,353	

व्यय

क्रम सं०	व्यय के शीर्षक	वास्तविक आँकड़े 1978-79	पुनरीक्षित बजट अनुमान 1978-79	मूल बजट अनुमान 1979-80	भिन्नता के कारण
क-	**राजस्व लेखा-**				
1-	**अधिष्ठान व्यय**				
(क)	सामान्य एवं प्रधान कार्यालय				
I-	प्रधान कार्यालय अधिष्ठान	3,58,303	4,83,000	4,81,000	गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बजट प्राविधान में अधिकता का कारण यह है कि प्राविधान स्वीकृत पदों पर आधारित है तथा नयी नियुक्तियों का भी प्राविधान किया गया है इसके अतिरिक्त 20% साधारण वृद्धि भी लगाई गई है । भवन विभाग का प्राविधान यहाँ किया गया है नगर नियोजन विभाग का प्राविधान इस वर्ष पूंजी लेखे में किया गया है । व्यय का विवरण पृष्ठ 39 से 48 पर दिया हुआ है।
II-	लेखा एवं कोषालय	1,89,733	1,90,000	2,00,000	
III-	कास्टिंग विभाग	24,222	30,000	90,000	
IV-	न्यायाधिकरण एवं उसका स्टाफ	74,208	90,000	1,00,000	
V-	संपत्ति विभाग	1,55,568	2,00,000	2,00,000	
VI-	किराया अनुभाग	45,807	70,000	1,19,000	
VII-	नजूल विभाग	1,06,774	1,30,000	1,98,000	
VIII-	विधि विभाग	22,388	30,000	36,000	
IX -	नगर नियोजन एवं भवन	5,09,488	5,00,000	3,74,000	
	योग	14,86,491	17,23,000	~~17,98,000~~ 1802000	
2-	अंकेक्षण शुल्क	13,475	2,15,000	2,00,000	
3-	पुस्तकालय एवं वाचनालय	-	10,000	20,000	
4-	**सांयोगिक तथा अन्य व्यय**				
I-	टेलीफोन			45,000	गत वर्ष प्राविधान की अपेक्षा व्यय कम होने का कारण यह था कि वर्ष माह फरवरी, 1979 तक अपेक्षित आय न हो सकी । इस वर्ष गत वर्ष की भाँति ही प्राविधान किया गया है । गत वर्ष केवल प्रकीर्ण मद के अन्तर्गत ही समस्त व्यय किये जाते थे। इस वर्ष उपमदें भी खोली गई हैं ।
II-	विधि व्यय			50,000	
III-	वर्दियाँ			20,000	
IV-	बैठकों पर व्यय			12,000	
V-	छपाई / स्टेशनरी			2,30,000	
VI-	किराया/टैक्सेज			7,10,000	
VII-	फर्नीचर / मशीनरी			50,000	
VIII-	वाहनों का रखरखाव			2,00,000	
IX -	मानदेय/स्वा० व्यय			20,000	
X -	अग्रिम (कर्मचारियों को)			1,50,000	
XI-	अन्य			1,00,000	
		774827	1523000	1587000	

1	2	3	4	5	6
5-	ऋणों का प्रतिदान				
	I- पुराने शासकीय ऋण				
	क- मूलधन का प्रतिदान	6,17,228	3,29,000	3,59,000	ऋणों का प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान हेतु प्राविधान वास्तविकता पर आधारित है।
	ख- ब्याज का भुगतान	11,83,081	14,26,000	13,86,000	
6-	मशीनरी और संयंत्र	1,10,716	5,20,000	1,50,000	इन मदों में सामान्य/विभागों हेतु वाहनों का क्रय/टाईप राइटर्स/अल्मारी/कल्कुलेटर्स तथा कूलर आदि की व्यवस्था हेतु प्राविधान है तथा भवन निर्माण सामग्री के क्रय का प्राविधान भी है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्राविधान कम होने का कारण यह है कि नई योजनाओं में उपभोग होने वाले सीमेंट का प्राविधान पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत किया गया है।
7-	उपकरण एवं भंडार वस्तुऐं	24,10,432	46,05,000	5,00,000	
8-	पुरानी योजनाओं के विकास कार्य				
	I- भूमि सर्वेक्षण एवं विकास	17,045	40,000	1,02,000	1- पुरानी योजनाओं के पेन्डिंग विकास कार्यों पर होने वाले व्यय का प्राविधान किया गया है।
	II- मार्ग एवं गलियाँ	3,33,172	4,00,000	3,35,000	
	III- मल नाले/नालियाँ	71,279	1,00,000	2,00,000	2- प्राधिकरण के भवनों/दुकानों की मरम्मत हेतु आवश्यक प्राविधान किया गया है।
	IV- जल संभरण	23,181	30,000	33,000	
	V- रोशनी	75,120	40,000	66,000	3- अलीगंज योजना में स्कूल भवन के निर्माण हेतु तथा कर्मचारियों के लिये आवासीय सुविधा हेतु प्राविधान किया गया है।
	VI- पार्क	70,124	65,000	3,00,000	
	VII- बन्धे का सुधार	22,245	20,000	10,000	
	VIII- प्रकीर्ण एवं आकस्मिक व्यय	90,218	90,000	1,75,000	
		7,02,384	7,45,000	12,21,000	

1	2	3	4	5	6
9-	मरम्मत/अनुरक्षण/निर्माण कार्य				
	I- भवनों की मरम्मत	1,93,140	2,00,000	2,00,000	कृपया क्रम सं0 8 के विरुद्ध दिये गये कारण देखें ।
	II- कार्यालय भवन की मरम्मत	97,032	1,00,000	2,50,000	
	III- स्कूल भवन का निर्माण	29,127	2,50,000	2,50,000	
	IV- कर्मचारियों हेतु आवासीय सुविधा		4,00,000	2,00,000	
	V- दुकानों एवं व्यास्क निर्माण		1,00,000	1,50,000	
	VI- महानगर योजना	1,483	10,000	—	
	योग	320782	10,60,000	10,50,000	
10-	जमा धन की वापिसी				
	I- ठेकेदारों की प्रतिभूति	—	50,000	10,000	सामान्य योजनाओं में जमा धन की वापसी हेतु प्राविधान किया गया है ।
	II- किराये एवं प्रीमियम	2,20,000	2,20,000	6,00,000	
	III- अन्य	16,365	50,000	2,00,000	
		78,52,781	1,25,16,000	90,85,000	

क्रम सं0	2	3	4	5	6
ब -	पूंजी लेखा				
11=	अभियंत्रण अधिष्ठान				
	I- मुख्य अभियन्ता कार्यालय	31,235	40,000	50,000	
	II- अभि0 खण्ड - 1	4,58,799	5,00,000	5,25,000	
	III- अभि0 खण्ड- 2	2,89,439	7,58,000	2,90,000	
	IV - अभि0 खण्ड - 3	1,67,695	3,13,000	2,75,000	
	V - अभि0 खण्ड - 4	30,297	-	3,00,000	
	VI- अभि0 खण्ड - 5	1,78,124	90,000	2,04,000	
	VII- अभि0 खण्ड - 6	-	-	60,000	
	VIII- भूमि अर्जन अधिष्ठान	-	-	1,28,000	
	IX- नगर नियोजन विभाग	-	-	2,66,000	
	X- प्राविधिक आडिट सेल	-	-	50,000	
12-	सांयोगिक तर अन्य व्यय				
	I- फरनीचर			1,70,000	
	II- विधि			50,000	
	III- छपाई का व्यय			1,00,000	
	IV- लेखन सामग्री			1,00,000	
	VI- बिजली टेलीफोन			30,000	
	VII- विज्ञापन			40,000	
	VII- कर्मचारियों को अग्रिम			2,00,000	
	VIII - विविध व्यय			2,00,000	
	IX- कर आदि			2,30,000	
		1208343	1653000	1120000	

गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्राविधान अधिक होने का कारण यह है कि अभियन्त्रण खण्ड 5 व 6 का पूर्ण प्राविधान किया गया है तथा साधारण वृद्धि 20% लगायी गयी है। नगर नियोजन विभाग का भी इस वर्ष व्यय/पूंजी लेखे के अन्तर्गत लिया गया है। व्यय का विवरण पृष्ठ 49 से पृष्ठ 57 पर दिया हुआ है।

गत वर्षों तक समस्त व्यय एक ही मद "प्रकीर्ण" में राजस्व व्यय के अन्तर्गत किये जाते थे। इस ~~कैपिटल में राजस्व व्यय के अन्तर्गत पूरे~~ वर्ष उपमदें भी खोली गई हैं। ~~गत वर्ष इस मद में~~

1	2				
13-	शासकीय ऋणों का प्रतिदान				
	क- मूलधन का प्रतिदान	6,59,456	6,59456	7,00,000	
	ख- ब्याज का भुगतान	10,68,381	10,72,747	9,00,000	
	II- सामान्य शासकीय ऋण				
	क- मूलधन का प्रतिदान	—		[illegible],000	मूलधन का प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान वास्तविकता पर आधारित है । निक्षेप निधि में २०.२० लाख का अधिक प्राविधान का कारण यह है कि आधारित पूंजी ऋण के प्रतिदान हेतु सिंकिंग फन्ड चालू करने की व्यवस्था की जायेगी।
	ख- ब्याज का भुगतान	25,40,000	25,40,000	33,00,000	
	III- संस्थागत ऋण				
	क- मूलधन का प्रतिदान	58,14,000	32,14,044	18,00,000	
	ख- ब्याज का भुगतान	31,16,753	31,16,753	2[illegible],00,000	
	II/- निक्षेप निधि को भुगतान	9,08,244	9,08,244	19,08,244	
14-	भूमि अर्जन				
	क- अलीगंज योजना	1,14,00,000	1,14,00,000	60,00,000	क- अलीगंज योजना : (फेज प्रथम तथा द्वितीय) में 923एकड़ भूमि का रु00.70प्रति वर्ग फुट की दर से कुल प्रतिकर रु0280लाख आता है जिसके विरुद्ध रु0230लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष रु050.00लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है । फेज तृतीय में इस वर्ष 1000एकड़ भूमि अर्जन की कार्यवाही का प्रस्ताव है अत: रु010.00लाख का केवल प्राविधान किया गया है ।
	ख- कानपुर रोड	1,27,50,000	1,20,00,000	1,20,00,000	ख- इस योजना में 444एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है तथा 472एकड़ भूमि इस वर्ष अर्जित करने का प्रस्ताव है जिसके प्रतिकर भुगतान हेतु रु01/= प्रति वर्ग फुट की दर से कुल धनराशि रु0399.00लाख आती है जिसके विरुद्ध अब तक रु0142.50लाख का भुगतान किया जा चुका है । शेष रु0357,00लाख के विरुद्ध रु0120.00 लाख का प्राविधान इस वर्ष किया गया है ।
	ग- नैपियर रोड-3	-	50,000	20,00,000	
	घ-शेखुपुर कसैला	-	2,00,000	10,00,000	
	ङ- अन्य योजनाएँ	-	5,50,000	10,00,000	ग-घ-ङ - इन योजनाओं में लगभग 150एकड़ भूमि अर्जन का प्रस्ताव है जिसके प्रतिकर भुगतान हेतु रु040.00लाख का प्राविधान किया गया है ।
		2,41,50,000	2,42,00,000	2,20,00,000	

1	2	3	4	5	6
15-	भूमि का विकास				
	1- अलीगंज योजना				
	I- भूमि का सर्वेक्षण	27,357	40,000	70,000	1- गत वर्ष व्यय पुनरीक्षित बजट की अपेक्षा कम होने के कारण [illegible] पर वर्णित किये गये हैं ।
	II- भूमि का सुधार	45,114	2,50,000	4,30,000	
	III- मार्ग और गलियाँ	23,83,259	40,00,000	30,00,000	
	II/- मल नाले और नालियाँ (सीवर स्ट्राम वाटर ड्रेन	5,64,206	35,00,000	25,00,000	2- [illegible] वर्ष आवश्यकता के आधार पर प्राविधान किये गये हैं ।
	I/- जल व्यवस्था	5,98,153	15,00,000	17,00,000	3- इस वर्ष प्राविधानों के अनुरूप ही व्यय हो, इसके लिये [illegible] कार्यवाही प्रस्तावित है :-
	I/I- रोशनी	34,66,461	28,00,000	30,00 000	
	I/II- पार्क	3,88,339	9,00,000	10,00,000	क) गत वर्ष स्वीकृति हुए अभियन्त्रण खंड 5 व 6 के [illegible] की पूर्ण नियुक्ति ।
	Ix- आकस्मिक व्यय	37,540	1,00,000	2,00,000	
	x- मरम्मत/अनुरक्षण	-	3,00,000	1,[illegible]	ख) विभागीय निर्माण ईकाई द्वारा कार्य कराना ।
	xI- शासन को बेचे गये भवनों में रद्दोबदल	-	5,00,000	2,00,000	ग) मुख्य निर्माण सामग्री अर्थात् लोहा, ईंटें, सीमेंट, [illegible] के विभाग द्वारा क्रय ।
		75,10,429	1,38,90,000	1,22,00,000	
	2- कानपुर रोड				
	I- भूमि का सर्वेक्षण	-	-	-	
	II- भूमि का सुधार	40,384	1,00,000	1,00,000	
	III - मार्ग और गलियाँ	24,32,434	40,00,000	25,00,000	
	II/ - मल नाले और नालियाँ (सीवर स्ट्राम वाटर ड्रेन)	1,59,000	2,00,000	20,00,000	
	I/- जल व्यवस्था	7,74,127	5,00,000	15,00,000	
	I/I- रोशनी	-	14,00,000	3,00,000	
	I/II- पार्क	-	-	50,000	
	I/III- आकस्मिक व्यय	-	-	1,50,000	
		34,05,945	62,00,000	66,00,000	
3-	अन्य योजनायें				
	I- भूमि का सर्वेक्षण	-	-	2,00,000	
	II- भूमि का सुधार	73,245	2,70,000	3,00,000	
	III- मार्ग और गलियाँ	-	5,50,000	12,50,000	
	II/- मल नाले और नालियाँ (सीवर, स्टामवाटर ड्रेन)	15,092	4,65,000	4,00,000	
	I/-			4,00,000	
	I/- जल व्यवस्था	12,245	2,15,000	5,50,000	
	I/I- रोशनी	-	2,75,000	2,[illegible]	
	I/I- पार्क	-	1,05,000	2,00,000	
	I/III- आकस्मिक व्यय	-	3,00,000	-	

16- आवासीय निर्माण			
1- अलीगंज योजना			
1- उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	16,13,448	30,00,000	10,00,000
11- मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	17,23,094	35,38,781	40,00,000
111- निम्न आय वर्ग गृह निर्माण टाइप 1	1,59,544	10,00,000	24,00,000
टाइप 11	-	-	24,00,000
11/- जनता गृह निर्माण	5,625	8,00,000	-
1/- हडको प्रथम चरण	1,93,598	13,04,500	5,00,000
- द्वितीय चरण	2,53,727	4,02,007	2,00,000
- तृतीय चरण	2,25,678	16,19,628	14,00,000
- चतुर्थ चरण	3,07,701	11,55,000	11,55,000
- पंचम चरण : भवन	-	-	25,00,000
1- साईट्स एण्ड सर्विसेज			12,00,000
2- कानपुर रोड योजना			
1- जनता गृह निर्माण 1- ई०डब्लू०एस०	1,588	50,000	10,00,000
11- एस०/एस०			7,50,000
11- अल्प आय गृह निर्माण (टाइप 11)	-	-	16,00,000
3- मोतीझील योजना			
1- जनता गृह निर्माण 1-ई०डब्लू०एस०	-	23,00,000	4,50,000
11-एस०/एस०			7,50,000
11- अल्प आय गृह निर्माण (तीन मंजिले)	6,36,533	15,50,000	25,00,000
4- पेपर मिल योजना			
1- अल्प आय गृह निर्माण	3,19,433	3,90,000	2,00,000
11- मध्यम आय गृह निर्माण योजना		1,00,000	6,00,000
5- ऐशबाग इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट योजना			
जनता गृह निर्माण (साईट्स एण्ड सर्विसेज)	-	-	15,00,000
6- अन्य योजनायें			
1- जनता गृह निर्माण	-	8,00,000	5,50,000
11- अल्प आय गृह निर्माण	-	-	-
111- मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण		2,00,000	50,000
11/- उच्च आय गृह निर्माण	-	1,00,000	50,000
	54,39,969	1,83,09,916	2,67,55,000

1- गत वर्ष पुनरीक्षित बजट प्राविधानों की अपेक्षा व्यय कम होने के कारण पृष्ठ सं० ५९५ पर वर्णित किये गये हैं ।

2- इस वर्ष बजट प्राविधान वास्तविकता पर आधारित है।

3- इस वर्ष प्राविधानों के अनुरूप ही व्यय हो, इसके लिये उपरोक्त क्रम सं० 15 के विरुद्ध क्रम सं० 3 पर अंकित कार्यवाही प्रस्तावित है ।

क्रम सं0	2			
17- कामर्शियल काम्प्लेक्स				
I- ओल्ड पोस्ट आफिस	4,05,305	10,64,246	10,00,000	
II- नक्खास योजना	2,11,061	3,55, 393	2,00,000	
III- आर0टी0ओ0आफिस		50,000	20,00,000	
IV- छितवापुर		1,50,000	20,00,000	
V- सिन्डर्स डम्प	1,28,898	3,50,000	5,00,000	
VI- नगर में क्यिास्क का निर्माण			5,00,000	
VII- अलीगंज शापिंग काम्पलेक्स	2,01,676	1,60,000	15,00,000	
VIII- अन्य योजनायें	-	-	3,00,000	
	9,46,940	21,29,639	80,00,000	

1-गत वर्ष पुनरीक्षित प्राविधानों की अपेक्षा व्यय कम होने के कारण इस मद में भी वही थे जो मद सं0 15 व 16 के विरुद्ध अंकित किये जा चुके हैं ।

2-नक्खास में प्रस्तावित दुकानों से कम दुकानों का निर्माण होने के कारण पुनरीक्षित प्राविधानों से कम व्यय हुआ है ।

3-सिन्डर्स डम्प में कुछ भूमि पर स्टे के कारण प्रस्तावित [illegible] निर्माण नहीं हो पाया फलस्वरूप प्राविधानित व्यय से कम व्यय हुआ

4-इस वर्ष हजरतगंज व्यवसायिक केन्द्र में शोरूम का निर्माण हो रहा है [नक्खास] . योजना में पुरानी निर्मित दुकानों पर हुए व्यय का भुगतान करना है । अलीगंज योजना में नई दुकानों का निर्माण होना है । नगर में क्यास्कों का निर्माण प्रस्तावित है ।

इस वर्ष में छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण करना है जिस के लिये भूमि अर्जित की जा चुकी है तथा डिजाइन कम्प्यूटीशन भी हो चुका है । आर0टी0ओ0 आफिस व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है और इस वर्ष कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है ।

18- मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	8,05,351	18,21,320	19,12,000	

गत वर्ष प्राविधानों की अपेक्षा व्यय कम होने का कारण यह है कि शासन से प्राविधानित ऋण/अनुदान प्राप्त नहीं हो [illegible] इस वर्ष शो T कार्य को करने हेतु वास्तविकता के आधार पर प्राविधान किया गया है ।

19- अन्य विकास/सुधार कार्य				
I- मलिन बस्ती निपातन योजना		9,50,000	16,27,000	
II- अन्य योजनायें (पार्क और पार्किंग)			4,00,000	

गत वर्ष प्राविधानित व्यय न होने का कारण यह है कि प्रस्तावित ऋण के विरुद्ध केवल रु03लाख दिनांक 31-3-79 को प्राप्त हो गया । इस वर्ष वास्तविकता के आधार पर प्राविधान किया गया है । इस कार्य के अन्तर्गत हाता रसूल खाँ, हाता लछमन दास तथा हाता सरजू प्रसाद में साइट एवं सर्विसेज के भूखण्ड एवं जनता भवन बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

इस वर्ष विभिन्न स्थानों पर पार्कों के निर्माण/ सुधार हेतु प्राविधान किया गया है ।

1	2	3	4	5	6
20-	उपकरण एवं भंडार वस्तुएं	-	-	45,00,000	सीमेंट की आवश्यकता — बोरी दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु 40,000 निम्न आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु 70,000 मध्यम आय वर्ग हेतु भवनों के निर्माण हेतु 55,000 उच्च आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु 7,000 1,72,000 रु0 25/= प्रति बोरी = रु0 43.00लाख व्यावसायिक केन्द्र/दुकानों के निर्माण हेतु (लगभग) ~~पुरानी योजनाओं/विकास कार्य हेतु~~ रु0 2.00लाख योग रु0 45.00लाख
21-	मशीनरी संयंत्र	-	20,000	5,00,000	वाहनों के क्रय हेतु
22-	जमा धन की वापसी				
	भूमि के लिये जमा धन	6,69,319	15,00,000	10,00,000	अनुमानित प्राविधान किया गया है।
	भवनों के लिये जमा धन	11,34,808	15,00,000	10,00,000	
	ठेकेदारों की प्रतिभूति	180	25,000	-	
	योग पूँजी खाता	6,06,34,289	875,91,119	10,50,20,244	
	महायोग (क+ख)	6,84,87,070	1001,07,119	11,41,05,244	
	अंतिम अवशेष	3,36,49,355	4,51,022 (+)	39,711	
	योग	10,21,36,425	1005558,141	11,41,44,955	

उचन्त लेखा

1	2	3	4	5	6
23-	भूमि क्रय हेतु जमा धनराशि की वापिसी				
	I- अलीगंज				
	II- अन्य				
24-	क- विकास कार्यों हेतु				
	I- जनता	86,180	5,95,849	2,85,398	
	II- संस्थाओं से				
	III- शासन से				
	ख- भवनों/दुकानों के निर्माणार्थ				
	I- जनता	~~86,567~~	50,000	-	
	II- संस्था द्वारा	2,73,972	-	-	
	III- शासन द्वारा				
25-	ठेकेदारों की प्रतिभूतियां				उचन्त लेखे में अवशेष संतुलन हेतु लेखे रखे जाते हैं । राजस्व/पूंजी आय से विनियोजन तथा अन्य अग्रिम तथा निक्षेपों के लेखे रखे जाते हैं । अतः इसका कोई प्रभाव राजस्व / पूंजी लेखों पर नहीं पड़ता है ।
	I- अलीगंज	1,42,039	1,60,000	1,00,000	
	II- कानपुर रोड	-	-	-	
	III- मोतीझील	-	-	-	
	IV- अन्य				
	V- अन्य निक्षेप	-	-	-	
26-	क- पूंजी लेखो से तथा अन्य अग्रिम भुगतान	108,66,016	140,00,000	10,00,000	
	ख- अन्य लेखो से भुगतान	25,00,000	-	-	
27-	विनियोग	-	305,00,000	10,00,000	
28-	निक्षेप निधि से ऋण का प्रतिदान	-	-	-	
	योग =	138,68,207	453,05,849	23,85,398	
	अंतिम अवशेष	85,398			
	योग =	139,53,605			
	महा योग=	1160,90,030	1458,63,990	1165,30,353	

"~~अनुलग्नक -ब~~"

वर्ष 1979-80 के लिये योजनावार आय का विवरण

(रु० लाखों में)

क्रमसं०	योजनाएँ	भूखण्ड	साइट एण्ड सर्विसेज	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	अलीगंज	82.19	1.60	1.50	15.00	13.60	15.60	129.49
2-	कानपुर रोड	56.49	1.00	0.60	6.00	-	-	64.09
3-	मोतीझील	-	3.00	0.45	4.32	-	-	7.77
4-	पेपर मिल कालोनी	-	-	-	-	13.75	-	13.75
5-	अहातों से	-	0.50	-	-	-	-	0.50
6-	अन्य योजनाएँ	8.99	1.50	-	-	-	-	10.49
		147.67	7.60	2.55	25.32	27.35	15.60	226.09

नोट:-

1- भूखण्डों से आय का विस्तृत विवरण पृष्ठ-35 पर दिया है ।

2- भवनों से आय का विस्तृत विवरण पृष्ठ-36 पर दिया है ।

भूमि की बिक्री से आय
वर्ष 1979-80 में

कुल रु०147.67लाख

1 - अलीगंज योजना

क- भूखण्ड

1- एफ सेक्टर	2,02,500 वर्ग फुट	5.30 प्रति वर्ग फुट	रु० 5,37,000/=	50 प्रतिशत
2- 'के' सेक्टर	6,07,500 वर्ग फुट	5.30 प्रति वर्ग फुट	रु०21,00,000/=	शेष धनराशि 1978-79 के बजट में रिकवर किया गया है ।
3- कामर्शियल प्लाट्स सेक्टर 'एफ' एवं 'एच'	3,24,000 वर्ग फुट	5.50 प्रति वर्ग फुट	रु०17,82,000/=	
4- अलीगंज फेज - 2	2,83,500 वर्ग फुट	लम्पसम	रु०25,00,000/=	
5- वर्ष 1978-79 के प्रीमियम का ऐरियर		लम्पसम	रु०10,00,000/=	
6- स्कूल के लिये भूमि की बिक्री		लम्पसम	रु० 3,00,000/=	
		योग =	रु०82,19,000/=	

2. विभिन्न योजनाओं से (लमसम) रु० 8.99 लाख →

3 2- कानपुर रोड

बिक्री योग्य क्षेत्रफल	3,50,000 वर्ग मीटर	107.60 प्रति वर्ग मीटर	रु०376.60लाख
			15प्रतिशत अग्रिम
			= रु० 56.49लाख
		योग =	रु०147.67 लाख

भवनों की बिक्री से आय

(रु0 लाख में)

	संख्या	दर	धनराशि
1- साइट एण्ड सर्विसेज			
(क) अलीगंज	800	रु0 200/-	1.60
(ख) कानपुर रोड	500	रु0 200/-	1.00
(ग) मोतीझील	300	रु0 1000/-	3.00
(घ) अन्य योजनाएँ (ऐशबाग)	1000	रु0 200/-	2.00
		योग-	7.60
2- आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग			
(क) अलीगंज	500	रु0 300/-	1.50
(ख) कानपुर रोड	200	रु0 300/-	0.60
(ग) मोतीझील	150	~~रु0 000~~ रु0 300/-	0.45
		योग-	2.55
3- निम्न आय वर्ग योजना			
(क) अलीगंज- (टाईप-I)	120	रु0 5000/-	6.00
(ख) अलीगंज- (टाईप-II)	300	रु0 3000/-	9.00
(ख) कानपुर रोड (टाईप-II)	200	रु0 3000/-	6.00
(ग) मोतीझील (तीन मंजिले)	144	रु0 3000/-	4.32
		योग-	25.32
4- मध्यम आय वर्ग योजना			
(क) अलीगंज	100	(10×55000/-) (40×15000/-)	11.50
		किश्तें- (25×4800/-) किश्तें- (25×3600/-)	2.10
(ख) पेपर मिल	25	रु055000/- (पूर्ण विक्रय)	13.75
		योग-	27.35
5- उच्च आय वर्ग योजना (अलीगंज)	20	रु078000/-	15.60
		महायोग-	78.42

वर्ष १९७९-८० में अर्जन, विकास तथा निर्माण कार्यों का विवरण

(रू० लाखों में)

क्रमसंख्या	योजना का नाम	अर्जन	साइट एण्ड सर्विसेज		निर्बल आय वर्ग		अल्प आय वर्ग		मध्य आय वर्ग		उच्च आय वर्ग		काम्प्लेक्स/शाप्स	विकास कार्य	योग
			नं०	कास्ट	नं०	कास्ट	नं०	कास्ट	नं०	कास्ट	नं०	कास्ट			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१-	अलीगंज योजना फेज-I एवं II	५०-००	८००	१२-००	५०० हुडको ओल्ड	२५-०० २-०० १४-००	I-१२० II-३००	२४-०० २४-००	एस।एस १०० डी।एस ४८ (शासन)	४०-००	२०	१०-००	-	१२२-००	
	फेज-II	१०-००							डी।एस ४८ हुडको ओल्ड	११-५५ ५-००					३४९-५५
२-	कानपुर रोड	१२०-००	५००	७-५०	२००	१०-००	२००	१६-००	-	-	-	-	-	६६-००	२१९-५०
३-	मोती झील	-	३००	४-५०	१५०	७-५०	ओल्ड १४४	५-०० २०-००	-	-	-	-	-	१०-५०	४७-५०
४-	पेपर मिल	-	-	-	-	-	-								
५-	नेपियर रोड पार्ट-I II	-	-	-	-	-	-	२-००	२५	६-००	-	-	-	२-००	१०-००
६-	अहाता	२०-००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२-००	२२-००
७-	ऐशबाग इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट योजना	-	-	-	१००	५-००	-	-	-	-	-	-	-	३-५०	८-५०
८-	अन्य योजनायें (पार्क तथा क्रासिंग सहित)	-	१०००	१५-००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१२-००	२७-००
९-	भटिल कालोनी	२०-००	-	-	टोकेन	०-५०	-	-	टोकेन	०-५०	टोकेन	०-५०	-	८-००	२९-००
१०-	काम्प्लेक्सेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१-००	१-००
११-	कल्प इम्प्रूवमेन्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~~ककककक~~	८०-००	-	८०-००
१२-	क्लीयरेन्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१९-१२	१९-१२
		-	-	-	२०१	१६-२७	-	-	-	-	-	-	-	-	१६-२७
		२२०-००	२६००	३९-००	११५१	८०-२७	७६४	९१-००	२२१	६३-०५	२०	१०-५०	८०-००	२४६-१२	८२९-९४
	स्टोर।मशीनरी														५०-००
	पुरानी योजनायें														२२-७१
														कुल योग	रु० ९०२-६५

वित्तीय व्यवस्था वर्ष १९७९-८०

(रु० लाखों में)

विवरण	आधारित ऋण पूंजी अवशेष।	सामान्य विकास ऋण अवशेष	मध्य आय वर्ग गृह निर्माण ऋण अवशेष।	संगठित नगर विकास ऋण		हुडको		ऋण पत्र		स्लम अनुदान ऋण		रेवेन्यू	योग
				अवशेष।	संभावित	अवशेष	संभावित	अवशेष	संभावित	अवशेष	संभावित		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
प्रतिकर													
१- अलीगंज -फेज I एवं II	-	-	-	२५-००	२५	-	-	-	-	-	-	-	५०।००
-फेज III	-	-	-	-	१०	-	-	-	-	-	-	-	१०।००
२- कानपुर रोड योजना	-	-	-	३२-८६६	३०	-	-	-	५७-१३४	-	-	-	१२०।००
३- नेपियर रोड योजना भाग-III	-	-	-	-	-	-	-	-	२०-००	-	-	-	२०।००
५- अन्य योजनायें	-	-	-	-	-	-	-	-	२०-००	-	-	-	२०-००
													220-..
विकास													
१-अलीगंज	-	-	-	-	३५	-	-	-	३७-०० (३८-..)	-	-	५०-०० (४६-..)	१२२-००
२- कानपुर रोड	१०-००	-	-	-	-	-	-	३०-००	२६-००	-	-	-	६६।००
३- मोती झील	१०-५०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१०।५०
४- पेपर मिल	२-००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२।००
५- नेपियर रोड पार्ट-III	-	-	-	-	-	-	-	-	२-००	-	-	-	२।००
६- अहातार	-	-	-	-	-	-	-	-	३-५०	-	-	-	३।५०
७- ऐशबाग ई० ट्रस्ट योजना	५-०० (१-)	-	-	-	-	-	-	-	१०-००	-	-	-	~~१५।००~~ 12-..
८- हैटिल कालोनी	-	-	-	-	-	-	-	-	१-००	-	-	-	१।००
९- अन्य									८-००	१-..			८-..
													227-..
आवासीय निर्माण													
१- अलीगंज	१७-८७	-	१६-३६	-	-	२२-०४	३७-००	-	५०।००	-	-	22.25	१६७-५५
२- कानपुर रोड	-	-	-	-	-	-	१७-५०	-	१२-००	-	-	४-००	३३।५०
३- मोती झील	२५-००	-	-	-	-	-	१२-००	-		-	-	-	३७।००
४- पेपर मिल	7-००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-08...	८।००
५- ऐशबाग ई० ट्रस्ट योजना	- 7...	-	-	-	-	-	१५।००	-	-	-	-	-	१५।००
६- अन्य	-	-	-	-	-	-	५-५०	-	१-.. ~~२०-००~~	-	-	-	~~२६।५०~~
													~~२७०~~ 286.55
व्यवसायिक केन्द्र													
१- हजरतगंज	-	-	-	-	-	-	-	१०-००	-	-	-	-	१०।००
२- आर०टी०ओ०	-	-	-	-	-	-	-	-	२०-००	-	-	-	२०।००
३- छितवापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	२०-००	-	-	-	२०।००
४- नखास	-	२-००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२।००
५- [illegible]	-	२-७८	-	-	-	-	-	१-४४	-	-	-	०-७८	५।००
६- कैसरबाग दुकाने	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	५-००	५।००
७- अलीगंज	-	-	-		-	-	-	-	१२-३६६	-		२-६३४	१५।००
८- अन्य योजनायें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	३-००	३।००
मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	थ	-	थ	थ	-	-	-	-	-	१०-३२ [५]	८-६०	-	१९।१२
स्लम निपातन योजना के अन्तर्गत तीन अहातों मे मकानों का निर्माण।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	३-००	१३-२७	-	१६।२७
	७४-३७	४-७८	१६-३६	५७-८६६	१००-००	२२-०४	८७-००	४१-४४	३००-००	१४-५२	२१-८७	~~८०-६६४~~	८२१।६४
												८६.६६४	

सामान्य प्रशासन बजट अनुमान वर्ष 1979-80

क्रम सं०	पद नाम	पद संख्या	वेतनक्रम	मूल वेतन	मह० भत्ता	अति० मह० भत्ता	म०कि० भत्ता	चिकित्सा भत्ता	न०प्रति० भत्ता	अन्य भत्ते	योग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	सचिव	1	-	1560/-	303/-	-	-	30/-	-	-	1893/-	
2-	अति० सचिव	1	-	1900/-	24/-	168/- 135/- 60/-		30/-	-		2317/-	
3-	उप नगर अधिकारी	1	-	1400/-	24/-	363/-	-	30/-	-	-	1817/-	
4-	सहायक नगर अधिकारी	1	-	1460/- (560/-)	24/-	235-50	84/-	20/-	25/-	-	948-50	
5-	कार्यालय अधीक्षक	1	-	560/-	24/-	235-50	84/-	20/-	25/-	-	948-50	
6-	आशुलिपिक	8	-	2018/-	144/-	1270-30	302-70	120/-	100-90	-	3955-30	
7-	प्र० श्रे० लिपिक	4	-	1952/-	72/-	599-70	157-80	60-	52-60	-	[illegible]994-10 (2/8)	
8-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	22	-	4602/- (3302/-)	340/-	2694-50	703-80	330/-	234-60	-	7604.90	
9-	ड्राईवर	4	-	731/-	54/-	416-70	109-65	60/-	36-55	6/-	1413-90	
10-	कार्यालय जमादार	1	-	200/-	14/-	114/-	30/-	15/-	10/-	-	384-50	
11-	दफ्तरी	2	-	418/-	28/-	238-30	62-70	30/-	20-90	14/-	81[illegible]0 (4)	
12-	चौकीदार	2	-	376/-	28/-	214-30	56-40	30/-	18-80	3/-	726-50	
13-	माली	2	-	376/-	28/-	214-30	56-40	30/-	18-80		726-50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14-	फर्राश	1	-	171/-	14/-	97-50	25-65	15/-	8-55	1-50	333-20	
15-	चपरासी	15	-	2770/-	210/-	1578-90	415-50	225/-	138-50	22-50 100-00	5660-40	
16-	स्वीपर	2	-	365/-	28/-	208-10	54-75	30/-	18-25	3/-	767-10	
17-	रिटेनर	1	-	200/-	-	-	-	-	-	-	200/-	
18-	शिक्षु	10	-	1300/-	-	-	-	-	-	-	1300/-	
			योग =	23149/-	1459/-	8723-60	279·35	1075-	708-45	155/-	34702-00	

एक मास का प्रस्तावित व्यय — रु० 34702/-

एक वर्ष का प्रस्तावित व्यय = 37202.40×12 — 416424

शासन द्वारा की जाने वाली बढ़ोत्तरी के लिये 5% अतिरिक्त — 20820

योग = 437246

अवकाश कालीन व्यवस्था के लिये कुल का 10% अतिरिक्त — 43700

योग = 480946

ह0/- अति0 सचिव.

लेखा विभाग

वर्ष 1979-80 में अधिष्ठान व्यय

क्रमसंख्या	पद	संख्या	मूल वेतन	म०भ०/अ०म०भ०	अन्य भत्ते	योग
1-	मुख्य लेखाधिकारी	1	1600	820	147·50	2567·00
2-	सहायक लेखाधिकारी	2	1200	680	200·00	2080·00
3-	लेखाकार	2	1750	580	60·00	1300·00
4-	लेखालिपिक	6	1480	1090	296·00	2866·00
5-	विभागीय लेखाकार	2	800	640	160·00	1600·00
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	4	740	545	148·00	1433·00
7-	मुख्य खजांची	1	450	320	106·00	876·00
8-	सहायक खजांची	3	900	700	200·00	1800·00
9-	चपरासी	4	724	540	140·00	1404·00
10-	गनमैन	1	181	114	48·00	343·00
					मासिक	16359·00
					वार्षिक	196308·00
					20% वार्षिक वृद्धि/दैनिक वेतन	4000·00
						200,000·00

अधिष्ठान व्यय (वर्ष 1979-80 में)

कास्टिंग तथा स्टोर परचेज अधिकारी, सम्पत्ति अधिकारी तथा जनसम्पर्क अधिकारी के पद हेतु

क- कास्टिंग विभाग

वर्ष 1979-80 में अधिष्ठान व्यय

क्रम संख्या	पद	संख्या	मूल वेतन	म0भ0/अ0म0भ0	अन्य भत्ते	योग
1-	कास्ट एकाउन्टेन्ट	एक	900	387	25	1312-00
2-	कास्ट असिस्टेन्ट	दो	700	540	65	1305-00
3-	आशुलिपिक	एक	240	200	20	460-00
4-	लेखालिपिक	दो	400	320	80	800-00
5-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	दो	370	270	54	694-00
6-	चपरासी	दो	330	164	60	554-00

मासिक रु0 5,125-00
वार्षिक रु0 61,500-00

ख- स्टोर परचेज अधिकारी, सम्पत्ति अधिकारी तथा जनसम्पर्क अधिकारी के पदों हेतु व्यय

		लम्प-सम सम्भावित व्यय
1-	स्टोर परचेज अधिकारी	14,000-00
2-	सम्पत्ति अधिकारी	14,000-00
3-	जन सम्पर्क अधिकारी	10,000-00
	योग-	38,000-00

नौ माह का सम्भावित व्यय रु0 28,500-00

कुल योग = क प्लस ख = 61,500-00 प्लस 28,500-00 = रु0 90,000-00

सम्पत्ति विभाग बजट अनुमान वर्ष 1979-80

क्रम सं०	पद नाम	पद सं०	वेतनक्रम	मूल वेतन	मह० भत्ता	अति० मह० भत्ता	म०कि० भत्ता	चिकि० भत्ता	म०प्र० भत्ता	अन्य भत्ते	योग	विवरण
1)	प्रधान लिपिक	1	-	361/-	18/-	205-80	54-15	15/-	18-05	-	672/-	
2)	प्र०श्रे०लिपिक	3	-	780/-	54/-	444-60	117/-	45/-	39/-	-	1479-60	
3)	द्वि० श्रे० लिपिक	8	-	1696/-	144/-	966-70	254-40	120/-	84-80	-	3265-90	
4)	चपरासी	6	-	1053/-	84/-	600-20	157-95	90/-	52-65	9/- 20/-	2066-80	
			योग =	3890/-	300/-	2217-30	583-50	270/-	194-50	29/-	7484-30	

एक माह का प्रस्तावित व्यय	रु० 7,484-30
एक वर्ष का प्रस्तावित व्यय 7484.30×12	रु०89,811-60
शासन द्वारा की जाने वाली बढ़ोत्तरी के लिये 5% अतिरिक्त	रु० 4,490-58
योग =	94,302-18
अवकाशकालीन व्यवस्था के लिये कुल का 10% अतिरिक्त	रु० 9,430-21
योग =	रु०103732-39
अर्थात कुल	रु०1,04,000/-
राजस्व विभाग	रु०1,00,000/- पृष्ठ-46
योग =	रु०2,04,000/-

ह०/- अति० सचिव

रेन्ट विभाग

बजट अनुमान वर्ष 1979-80

क्रम सं०	पद नाम	पद सं०	वेतनक्रम	मूल वेतन	म०ह० भत्ता	अति० म०ह० भत्ता	म०कि० भत्ता	चिकित्सा भत्ता	क्ष०प्रति० भत्ता	अन्य भत्ते	योग
1.	स०क०अ०	1	-	338/-	18/-	142/-	50-70	15/-	16-90	10/-	590-60
2-	प्र०श्रे०लिपिक	2	-	843/-	36/-	480-50	126-45	30/-	42-15	-	1558-10
3-	दि०श्रे०लिपिक	5	-	1716/-	90/-	978-10	257-40	75/-	85-80	-	3202-30
4-	कर संग्रहक	8	-	1405/-	144/-	800-90	210-75	120/-	70-25	80/-	2830-90
5-	चपरासी	1	-	194/-	14/-	110/-	29-10	15/-	9-70	1-50	373-90
		योग -		3496/-	302/-	2512-10	674-40	255/-	224-80	91-50	8555-80

एक मास का प्रस्तावित व्यय = रु० 8,555-80 पै०

एक वर्ष का प्रस्तावितव्यय 8555·80×12 = रु०1,02,669-60 पै०

शासन द्वारा की जाने वाली बढ़ोत्तरी के लिए 5 % अतिरिक्त = रु० 5,133-48 पै०

योग- रु०1,07,803-08 पै०

अवकाशकालीन व्यवस्था के लिए कुल का 10 % अतिरिक्त = रु० 10,780-30 पै०

योग = रु०1,18,583-38 पै०

अर्थात कुल = रु०1,19,000/- मात्र

नजूल विभाग बजट अनुमान वर्ष 1979-80

क्र०सं० पद नाम	पद संख्या	वेतनक्रम	मूल वेतन	मह०भत्ता	अति०मह० भत्ता	म०कि०भत्ता	चिकि० भत्ता	न०प्रति० भत्ता	अन्य भत्ते	योग	विवरण
1- प्रधान लिपिक	1	--	370/-	18/-	155.40	55.50	15/-	18.50	-	632/-	
2- नायब तहसीलदार	1	-	440.88	24/-	221.80	76.20	20/-	25/-	75/-	973/-	
3- प्र०श्रे०लिपिक	6	-	1441.00 ~~1854/-~~	108/-	1046.80	481.10 ~~728.10~~	90/-	92.70	-	3469.60	
4- द्वि०श्रे०लिपिक	8	-	1838/-	144/-	1047.70	275.70	120/-	91.90	-	3517.30	
5- अमीन	7	-	1323/-	98/-	754.10	198.45	105/-	66.15	70/-	2614.70	
6- चपरासी	8	-	1541/-	112/-	878.40	231.15	120/-	77.05	80/-12/-	3051.60	
		योग--	7454/-	504/-	4104.20	1118.10	470/-	371.30	225/-12/-	14258.20	

एक मास का प्रस्तावित व्यय = रु0 14,258.20

एक वर्ष का प्रस्तावित व्यय 14258.20 ×12 = रु01,71,098.40

शासन द्वारा की जाने वाली बढ़ोत्तरी के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त = रु0 8,554.92

योग = रु01,79,653.32

अवकाश कालीन व्यवस्था के लिए कुलका 10 प्रतिशत अतिरिक्त = रु0 17,965.33

योग = रु01,97,618.65

अर्थात् कुल = रु01,98,000/- मात्र

राजस्व विभाग बजट अनुमान वर्ष 1979-80

क्र0सं0 पद नाम	पदसंख्या	वेतन क्रम	मूल वेतन	म0भत्ता	अति0म0 भत्ता	म0कि0 भत्ता	चि0कि0 भत्ता	न0प्रति0 भत्ता	अन्य भत्ते	योग	विवरण
1- प्रधान लिपिक	1	_	361/-	18/-	205.80	54.15	15/-	18.05	-	672/-	
2- प्र0श्रे0लिपिक	3	-	875/-	54/-	498.80	131.25	45/-	43.75	-	1647.80	
3- द्वि0 श्रे0 लिपिक	6	-	1315/-	108/-	749.55	197.25	90/-	65.75	-	1525.55	
4- जिलेदार	6	-	1324/-	108/-	754.70	198.60	90/-	66.20	60/-	1561.50	
5- चपरासी	5	-	931/-	70/-	530.70	139.65	75/-	46.55	50/-7.50	1850.40	
योग-			4806/-	358/-	2739.55	720.90	315/-	240.30	110/-7.50	7257.25	

एक मास का प्रस्तावित व्यय=रु0 7,257.25 पै0

एक वर्ष का प्रस्तावित व्यय 7257.25
×12 =रु0 87,087.00 पै0

शासन द्वारा की जाने वाली बढोत्तरी के
लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त =रु0 4,354.35 पै0

योग =रु0 91,441.35 पै0

अवकाश कालीन व्यवस्था के लिए कुल का 10
प्रतिशत =रु0 9144.14 पै0

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी =रु0 9000.00

योग =रु0 1,00,000/-

विधि विभागीय बजट अनुमान वर्ष :1979-80

क्र०सं० पद का नाम	पद संख्या	वेतन क्रम	मूल वेतन	मह०भत्ता	अति०मह०भत्ता	म०कि०भत्ता	चिकि० भत्ता	न०प्रति भत्ता	अन्य भत्ते	योग	विवरण
1- विधि अधिकारी	1	-	800/-	24/-	336/-	120/-	25/-	-	-		
2-प्र०श्रे०लिपिक	1	-	250/-	18/-	140.50	37.50	15/-	12.50	-		
3- द्वि०श्रे०लिपिक	1	-	225/-	18/-	128-25	33-75	15/-	11.25	-		
4- चपरासी	1	-	197/-	14/-	112.30	29.55	15/-	9.85	10/-	1.50	
		कुल योग-	1472/-	74/-	717.05	230.80	70/-	33.60	10/-	1.50	2608.95

एक मास का प्रस्तावित व्यय=रु0 2,608.95 पै0

एक वर्ष का प्रस्तावित व्यय 2608.95×12 =रु0 31,307.40 पै0

शासन द्वारा की जाने वाली बढ़ोत्तरी के लिये 5प्रतिशत अतिरिक्त =रु0 1,565.37 पै0

योग =रु0 32.872-77 पै0

अवकाश कालीन व्यवस्था के लिये कुल का 10प्रतिशत =रु0 3,287.28 पै0

योग =रु0 36,160.05 पै0

या रु0 36,000/-

भवन विभाग
(वर्ष 1979-80 में आधिष्ठान व्यय

वर्ष १९७९-८० में भवन विभाग [illegible] का विवरण

क्रम सं०	नाम पद	संख्या	वेतन	महगाई भता	अतिरिक्त महगाई भता	मकान का किराया भता	नगर प्रतिकर भता ।	योग
१-	नगर अभियन्ता (	१	११००-००	२४-००	३७६-००	-	२३०-००	१७३०-००
२-	सहायक अभियन्ता	३	१८६०-००	७२-००	९३६-००	३६०-००	३००-००	३५५८-००
३-	आशु लिपिक	१	३००-००	१८-००	१६८-००	४५-००	३०-००	५६१-००
४-	अवर अभियन्ता	१२	३७९६।००	२१६-००	२५५८-००	५४०-००	८८०-००	७९९०-००
५-	सर्वेकार	१	२४८-००	१८-००	१४-५०	४८-००	२५-००	४८७-५०
६-	कम्पयूटर	१	३०८-००	१८-००	१८४-५०	६०-००	९०-००	५६०-५०
७-	प्रधान लिपिक	१	३८०-००	१८-००	१६८-००	५७-००	३४-००	६५७-००
८-	लिपिक प्रथम श्रेणी	३	७२५-००	५४-००	४३४-००	१४२-००	४५-००	१०००-००
९-	लिपिक द्वितीय श्रेणी	१०	२१७०-००	१८०-००	१२१९-५०	४१४-००	१५०-००	४१२९-५०
१०-	ड्राफटमैन	१	३१-००	१८-००	२२-५०	६२-००	१५-००	४३५-५०
११-	सीयर	३	६१५-००	५४-००	३६८-००	१२०-००	४५-००	१२०२-००
१२-	चपरासी	१५	३०३०-००	२१०-००	१८२८-००	६००-००	४००-००	६०५८-००
								२८,३६९-००

एक माह का योग २८,३६९-००
१२ माह का योग- २८,३६९-०० १२ = ३,४०,४२८-००
१० प्रतिशत 34042-80

योग ३,७४,४७०-००

मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु प्रस्तावित पद तथा प्राविक्षानित ब्यय
वर्ष 1979-80 के अधिष्ठान पर ब्यय

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	प्रतिमाह ब्यय	अनुमानित ब्यय
1-	मुख्य अभियन्ता	एक	1,717-00	20,604-00
2-	अधीक्षक कार्यालय	एक	584-00	7,000-00
3-	वैयक्तिक सहायक	एक	493-00	5,916-00
4-	लिपिक प्रथम श्रेणी	एक	388-00	4,658-00
5-	लिपिक द्वितीय श्रेणी	दो	645-00	7,740-00
				45,920-00
			दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	4,080-00
				रु0 50,000-00

(क्रम संख्या 2 से 5 तक) इन पदों का ब्यय पद सृजन के वाद होगा ।

वर्ष 1979-80 में अधिष्ठान व्यय (अभियन्त्रण विकास खण्ड-1)

क्रम संख्या	पदनाम	पद संख्या	वेतन	महगाई भत्ता	भवन किराया	अन्य	कुल योग
1-	अधिशासी अभियन्ता	एक	1100/-	347/-	-	-	1447-00
2-	सहायक अभियन्ता	तीन	1890/-	818-00	97-60	100-00	2905-60
3-	अवर अभियन्ता	चौदह	4360/-	2500-00	654-00	1350-00	8864-00
4-	ड्राफ्टमैन	तीन	840/-	518-00	126-00	42-00	1526-00
5-	कम्प्यूटर	तीन	840/-	513-00	126-00	42-00	1536-00
6-	ट्रेसर	चार	800/-	484-00	120-00	40-00	1444-00
7-	सर्वेयर	एक	176-00	108-00	26-00	18-00	329-00
8-	वर्क एजेण्ट	एक	188/-	114-00	28-20	19-40	350-60
9-	फेरा ब्वाय	एक	188/-	114-60	28-60	9-40	340-60
10-	प्रधान लिपिक	दो	688/-	352-00	100-00	33-40	1153-60
11-	प्रथम श्रेणी लिपिक	पांच	1129-00	755-00	170-00	57-00	2111-00
12-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	आठ	1480-00	1090-00	222-00	74-00	2846-00
13-	अमीन	सात	1547-00	820/-	232-00	147-35	2746-30
14-	ड्राइवर	तीन	528-00	333/-	79-20	26-40	966-60
15-	क्लोनर	एक	145/-	102-50	125-75	10-00	303-25
16-	माली	सात	1281-00	784-00	193-00	65-00	2323-00
17-	अर्दली/चपरासी	बत्तीस	5920/-	3616/-	916/-	400-00	10852-00

योग 42044-65 x 12 = 504531-80

वृद्धि सम्भावित 21000-00

525531-00

अभियन्त्रण खण्ड 2

(वर्ष १९७९-८० में अधिष्ठान व्यय)

क्रम सं०	पद नाम	पद सं०	वेतन	महगाई। अतिरिक्त महगाई भत्ता।	भवन भत्ता	नगर प्रतिकर भत्ता	अन्य	योग	वार्षिक योग	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१-	अधिशासी अभियन्ता	१	१२५०|-	३६७|-	-	-	-	१६१७|-	१९,४०४|-	
२-	सहायक अभियन्ता	४	२६००|-	११२३|-	३९०|-	७००|-	३००|-	४५१३|-	५४,१५६|-	
३-	अवर अभियन्ता	२०	५४००|-	३५२०|-	९६०|-	३२०|-	१५००|-	११७००|-	१,४०,४००|-	
४-	प्रधान लिपिक	१	२८०|-	१४६-४०	३६|-	१२|-		४३४-४०	५,२१२-८०	
५-	विभागीय	१	२९३|-	१७४-५०	४३-९४	१४-६५		५२६-०९	६,३१३-०८	
६-	स्टेनो	१	२४०|-	१४६-४०	३५-००	१२-००		४३४-४०	५,२१२-८०	
७-	प्रथम श्रेणी लिपिक	७	७०२|-	४१७-५७	९९-००	३५-१०		१२५३-६७	१५,०४४-०४	
८-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	३	६२७|-	३७७-५५	९४-०५	३१-३५		११२९-९५	१३,५५९-४०	
९-	चपरासी व अर्दली	९	१६४७|-	१००७-०५	२८७-०६	८३-३५	१३-५०	२९३७-००	३५,२६४-००	
१०-	जीप ड्राईवर	१	१७६|-	१०८-९५	२६-४०	८-८०	१-५०	३१९-३५	३,८३२-२०	
								२५,९२४-८६	३,११,०९८-३२	
	कर्मचारियों के भत्तों की वार्षिक वृद्धियाँ आदि								८०,०००-००	
									३,९१,०९८-३२	

प्राविधान रु० ३९१०००|=

Say Rs 3,90,000/=

वर्ष 1979-80 में आधिष्ठान व्यय

अभियन्त्रण खण्ड -3

क्र०सं० पद का नाम	सं०	वेतन	महं० भत्ता/अति० महं० भत्ता	भवन भत्ता	नगरप्रति० भत्ता	स्वास्थ्य भत्ता	अन्य भत्ता	योग
1- अधिशासी अभियन्ता	-1	1,050/-	387/-	157.50	-	23/-	75/-	1,674.50
2-सहायक अभियन्ता	-4	2,320/-	1020/-	348/-	-	80/-	300/-	4,068/-
3- अवर अभियन्ता	-16	4928/-	2,976/-	740/-	240/-	240/-	1200/-	10,324/-
4- प्रधान लिपिक	-1	240/-*78×*	176/-	36/-	12/-	15/-	-	479/-
5- स्टेनों	1	240/-	176/-	36/-	12/-	15/-	-	479/-
6- प्रथम श्रेणी लिपिक	2	390/-	215/-	50/-	20/-	30/-	-	714/-
7- द्वि०श्रे०लिपिक	1	185/-	113/-	27.75	9.25	15/-	-	348/-
8- टंकण लिपिक	1	185/-	113/-	27.75	9.25	15/-	-	348/-
9- चपरासी	3	475/-	268/-	75/-	25/-	45/-	-	888/-
								19,322.50×12
								=2,31,870/-

कर्मचारियों की वार्षिक वेतन बृद्धि, भत्तों, नकदीकरण तथा अवकाशीय आदि = 42,890/-

योग = 2,75,000/-

वर्ष 1979-80 में अधिष्ठान व्यय

अभियन्त्रण खण्ड-4

क्र०सं० पद का नाम	पद संख्या	वेतन	महगाई भत्ता	भवन किराया	अन्य	अन्य	कुल योग
1- अधिशासी अभियन्ता	1	700/-	300/-	105/-	-	75/-	1180/-
2- सहायक अभियन्ता	4	2000/-	965/-	330/-	100/-	300/-	3895/-
3- अवर अभियन्ता	16	4800/-	2816/-	770/-	2400/-	1200/-	9776/-
4- प्रधान लिपिक	1	370/-	176/-	55.50	18.50	-	620/-
5- स्टेनो	1	240/-	176/-	36/-	12/-	-	464/-
6- प्र०श्रे०लिपिक	2	480/-	352/-	72/-	24/-	-	928/-
7- द्वि०श्रे०लिपिक	2	370/-	226/-	55.50	18.50	-	670/-
8- टाइपिस्ट	1	185/-	113/-	27.75	7.25	-	335/-
9- चपरासी	3	495/-	268/-	75/-	25/-	-	863/-
10- सर्वेयर	1	300/-	176/-	45/-	15/-	-	536/-
							19267/-

19267×12 = 231204/-

39000/-

24120/-

= 294324/- यानी

= 3,00,000/-

वर्ष 1979-80 में अनुमानित व्यय

अभियन्त्रण खण्ड-2

क्र0सं0 पद का नाम	संख्या	वेतन क्रम	मूल वेतन	वार्षिक वेतन	डी0ए0	अन्य सी0सी0 ए0	भत्ता एच0ए0आर0	योग	कुल योग
1- अधिशासी अभियन्ता	1	800-1450	800	9600	2304	-	1440	1440	11344
2- सहायक अभियन्ता	3	550-1200	550	19800	5422	900	2970	3870	29092
3- कम्प्यूटर	1	325-575	325	3900	1224	195	585	780	5904
4- एडीशनल जूनियर इंजीनियर	9	300-500	300	32400	11016	1620	4860	6480	49896
5- स्टेनो	1	250-425	250	3000	1056	150	250	600	4656
6- प्र0लि0	1	280-450	280	3360	1157	168	504	672	5189
7- से0 एकाउन्टेण्ट	1	250-425	250	3000	1056	150	450	600	4656
8-प्र0श्रे0 लिपिक	1	250-425	250	3000	1056	150	450	600	4656
9-द्वि0श्रे0लिपिक	2	200-320	200	4800	1680	240	720	960	7440
10- टाइपिस्ट	2	200-320	200	4800	1680	240	720	960	7440
11- ड्राफ्टस मैन ग्रेड-II	2	280-450	280	6720	2314	336	1008	1344	10378
12- ट्रेसर	1	200-320	200	2400	840	120	360	480	3720
13- ब्लू प्रिन्टर	1	165-215	165	1980	689	99	297	396	3065
14- चपरासी	4	165-215	165	7920	2756	396	1188	1584	12260
				106680	34250	4764	16002	20766	161696
			अर्थात	1,06,700	34,200	4,800	16,000	20,900	1,61,700

कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि, नकदीकरण आदि 42,890

2,04,590

या 2,04,000/-

अभियन्त्रणालय-६

(वर्ष 1979-80 में अधिष्ठान व्यय)

क्र०सं० पद का नाम	सं०	वेतनमान	वेतन	वार्षिक वेतन	महगाई भत्ता	अन्य भत्ते	मकान किराया	योग	महायोग
1- अधिशासी अभियन्ता	1	800-1450	800	9600	2304	-	1440	1440	11344
2- सहायक अभियन्ता	3	550-1200	550	19800	5422	900	2970	3870	29092
3- कम्प्यूटर	1	325-525	325	3900	1224	195	585	780	5904
4- अवर अभियन्ता	9	300-500	300	32400	11016	1620	4860	6480	49896
5- स्टेनो	1	250-425	250	3000	1056	150	450	500	4656
6- प्रधान लिपिक	1	280-450	280	3360	1157	168	504	672	5189
7- से० एकाउन्टेण्ट	1	250-425	250	3000	1056	150	450	600	4656
8- प्र०श्रे० लिपिक	1	250-425	2500	3000	1056	150	450	600	4656
9- द्वि० श्रे० लिपिक	2	200-320	200	4800	1680	240	720	960	7440
10- टंकक	2	200-320	200	4800	1680	240	720	960	7440
11- ड्राफ्टस मैन ग्रेड-II	2	280-450	280	6720	2314	336	1008	1344	10378
12- ट्रेसर	1	200-325	200	2400	840	120	360	480	3720
13- ब्लू प्रिंटर	1	165-215	165	1980	689	99	297	396	3065
14- चपरासी	4	165-215	165	7920	2756	396	1188	1584	12260
				1,06,680	34,250/-	4764/-	16,002	20766	1,61,696
			या रु०	1,06,700	34,200/-	4,800	16,000	20,980	1,61,700
								10 प्रतिशत अतिरिक्त	16,000
								योग= रु०	1,77,700
								या = रु०	1,78,000/-

प्राविधान - रु० 128000-

शेष पद स्वीकृत होने पर किया जायेगा।

आकृष्टवाण खण्ड द - (contd)

क्र०सं०	पद का नाम	पदसं०	वेतन	महगाई भत्ता	किराया	अन्य भत्ते	योग
1-	ड्राईवर	6	1056/-	648/-	158.34	180/-	2042.34
2-	क्लीनर	5	825/-	511.35	123.75	47.25	1508.85
3-	मिक्चर ड्राईवर	1	176/-	106.02	25.80	8.00	312.42
4-	सिविल सुपरवाईजर	1	176/-	108/-	26.50	30/-	340-00
							4203.61
						अतिरिक्त व्यय	766.39
							5,000.00

12×5,000 का व्यय = 60,000.00

पूर्व पृष्ठ 128,000.00

188,000.00

वर्ष 1979-80 में अधिष्ठान व्यय

नगर नियोजन विभाग

क्रम संख्या नाम पद	संख्या	वेतन	महगाई भता	अति० मह०भता	मकान का किराया	नगर प्रतिक्षत एव मेडीकल	योग
१- वरिष्ठ नगर नियोजक	१	१८६०-००	२४-००	३०३-००	१२७-५०	३०-००	२२१७-००
२- आरचीटैक्ट	१	८५०-००	२४-००	४६०-००	२२८-००	३०-००	१५९१-५०
३- सहायक नगर नियोजक	२	१५२०-००	४८-००	६८२-००	७५०-००	१००-००	२९७८-२०
४- सहायक वास्तुविद	२	१२२०-००	४८-००	५७७-२०	२७३-५०	६०-००	२६८५-२०
५- ड्राफ्टमैन ग्रेड-I	५	१२२५-००	६०-००	८३५-००	१७२-५०	१६३-००	२५८६-५०
६- " " " -II	४	११५२-००	७२-००	६७२-००	९२-२५	११६-००	२२८४-५०
७- ट्रेसर	३	६२४-००	४२-००	३६७-५०	६४-००	१०५-००	११२९-७५
८- व्यक्तिगत सहायक	१	४२५-००	२४-००	१९१-००	४५-००	३६-००	७४०-००
९- आशुलिपिक	१	३००-००	१८-००	१६८-००	१८४-५०	३०-००	५६१-००
१०- लिपिक द्वि० श्रे०	६	१२३०-००	१०८-००	७३५-००	२७-३०	१५०-००	२४०७-००
११- ड्राईवर	१	१८१-००	१४-००	७१-००	-	२६-००	३१७-००
१२- नोटिस सर्वेयर	२	३३८-००	२८-००	२०२-००	५०-६०	४६-००	७५६४-६०

27062=05
× 12
रु. 324,744.60
41000.
रु. 365744.60

दिनांक 28-4-1979 को 10 बजे आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्य-विवरण

- :0: -

उपस्थिति :

1- श्री शशिभूषण शरण - आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

2- श्री योगेन्द्र नारायण - जिलाधिकारी, लखनऊ ।

3- श्री डी०एन० श्रीवास्तव - संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

4- श्री जे०पी० दुबे - मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- श्री ओ०पी० विश्नोई - मुख्य अभियन्ता (पूर्व) उत्तर प्रदेश जल निगम

6- श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण

7- श्री करुणा शंकर वाजपेयी - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण

8- श्री एम०ए० लारी - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण

9- श्री बी०के० चतुर्वेदी - उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थित :

1- श्री सुरेन्द्र पाल गौड़ - सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

विषय संख्या-1 : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

दिनांक 17-3-79 की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण निम्न दो संशोधनों के साथ किया गया :-

1·1 नक्खास सम्बन्धी प्रस्ताव को निम्न प्रकार पढ़ा गया :-

"नक्खास बाज़ार की नई इक्नामिक्स जिसमें 96 वर्गफुट की दुकानों के लिये रू० 5000/- तथा 100/- रूपये किराया तथा 135 वर्गफुट की दुकानों के लिए रू० 6000/- प्रीमियम तथा रू० 150/- किराया अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विस्थापितों को उपरोक्त किराये एवं प्रीमियम पर दुकाने आफर की जायें ।"

1·2 उद्यान सम्बन्धी अतिरिक्त स्टाफ के प्रस्ताव को निम्न प्रकार पढ़ा गया :-

"उपरोक्त विषयक आख्या का अनुमोदन करते हुये दस माली तथा दो हेड मालियों के पदों के सृजन की अनुमति दी गई तथा शेष पदों के सम्बन्ध में स्टाफ उपसमिति निर्णय ले । यह भी निर्देश दिया गया कि

क्रमश:- - - - 2·

उपाध्यक्ष नगर के समस्त पार्कों के रखरखाव के बारे में पूरी स्थिति का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करें कि महापालिका तथा विकास प्राधिकरण के बीच पार्कों का कार्य-विभाजन किस प्रकार किया जाय ।

विषय संख्या-2 : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 की अनुपालन आख्या ।

पारित प्रस्ताव : दिनांक 17-3-79 की बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि पिछली बैठकों के अनिर्णीत विषयों को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या- 3 : वित्तीय वर्ष 1979-80 के मूल बजट पर विचार ।

बजट के बारे में तीन मुख्य विन्दु उठाये गये :-

1- श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम द्वारा बताया गया कि बजट काफी इन्फ्लेटेड बनाया गया है तथा बजट में प्राविधानित उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो पायेंगी ।

2- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित अपने श्रोतों से आय कम रखी गयी है, जबकि इससे अधिक आय आ सकती है ।

3- डिबेन्चर्स के फ्लोटिंग से प्रस्तावित प्राप्ति रु0 3 करोड़ रखी गई है । यह कहा गया कि इसे तभी लिया जाय जब कि आय-व्यय की प्रगति के आधार पर आवश्यक समझा जाय ।

4- पिछले वित्तीय वर्ष के आरम्भ में 607·21 लाख रुपये का प्रारम्भिक अवशेष दिखाया गया है । यह विन्दु उठाया गया कि इतनी धनराशि का लाभकारी वित्तीय प्रबन्ध किन परिस्थितियों में नहीं किया गया, इसकी जिम्मेदारी नियत की जाये ।

5- श्री निगम ने बताया कि विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् के भूमि विकास/निर्माण के वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों में सामंजस्य नहीं है तथा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय व्यय के अनुसार आवश्यक भवन-निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्राविधिक स्टाफ द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर इस वर्ष के भौतिक लक्ष्य अप्राप्य नहीं है । विकास

क्रमशः---- 3·

प्राधिकरण का बजट कुछ महत्वाकांक्षी अवश्य है परन्तु बजट के विरुद्ध वांछित उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जायगा ।

विन्दु नं0 2 के क्रम में उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य 95% भूखण्ड/भवन, एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 के लिये बनाये जा रहे हैं । भवन/भूखण्डों की कीमत 10 से 20 वर्षों तक प्राप्त होगी । इसी कारण प्राधिकरण द्वारा कम आय प्रस्तावित है ;

विन्दु 3 एवं 4 को स्वीकार किया गया ।

विन्दु नं0 5 के क्रम में बताया गया कि व्यय केवल भवन निर्माण हेतु ही नहीं किया जा रहा है किन्तु व्यवसायिक केन्द्रों तथा ट्रान्सपोर्ट नगर जैसी योजनाओं पर भी किया जा रहा है, जिनमें आवासीय भवनों के निर्माण का प्राविधान नहीं है ।

पारित प्रस्ताव : बजट पारित किया गया ।

विषय संख्या-4 : छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र के लिये आर्कीटेक्चरल डिज़ायन आदि के लिये प्रतियोगिता ।

पारित प्रस्ताव : छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र के लिये आयोजित आर्कीटेक्चरल डिज़ायन प्रतियोगिता सम्बन्धी आख्या पर विचार-विमर्श कर अनुमोदन किया गया तथा अग्रेतर कार्यवाही के लिये एक उप समिति का गठन किया गया जिसमें सचिव, आवास एवं नगर विकास, उत्तर प्रदेश, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक होंगे । यह समिति केन्द्र के निर्माण हेतु टेण्डर जारी करने तक का आवश्यक निर्णय लेगी तथा आर्कीटेक्ट के पर्यवेक्षण पर आवश्यक रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

विषय संख्या-5: हाता रसूल खाँ योजना की आख्या ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्तुत आख्या पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण हाता रसूल खाँ का स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट दें ।

क्रमशः - - - 4

विषय संख्या-6 : सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी तथा स्टोर्स एवं परचेज अधिकारी जन सम्पर्क अधिकारी के पद का सृजन ।

पारित प्रस्ताव- प्रस्तुत आख्या पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि :-

6·1 स्टोर एवं परचेज अधिकारी का पद वेतनक्रम 800-1450 में फिलहाल एक वर्ष के लिये सृजित किया जावे । इस बीच उप समिति इस पर विचार कर अन्तिम संस्तुति प्रस्तुत करेगी ।

6·2 अन्य दो पदों का सृजन का विषय स्टाफ उपसमिति को सन्दर्भित किया गया ।

विषय सं0-7 : कामर्शियल एकाउण्टिंग लागू करने के लिये दो कास्ट-असिस्टेण्ट के पदों का सृजन ।

पारित प्रस्ताव- इस विषय को स्टाफ उप समिति को निर्णय हेतु संदर्भित किया गया ।

विषय संख्या-8: अलीगंज योजना में चतुर्थ भाग में 25 एम0आई0जी0 भवनों का निर्माण, बिजली तथा सैनिटरी, वाटर सप्लाई सहित ।

पारित प्रस्ताव - प्रस्तुत आख्या पर विचार-विमर्श के उपरान्त रू0 10,24,920-52 पै0 की निविदा की औपचारिक अनुमति प्रदान की गई ।

विषय संख्या-9 : हजरतगंज स्थित पुराने डाकखाने में त्रिलोकनाथ रोड के समानान्तर शो-रूम-कम- आफिस ब्लाक के दो-मंजिले भवन का निर्माण ।

पारित प्रस्ताव - प्रश्नगत आख्या पर विचार-विमर्श के उपरान्त रू0 10,07,588/- की धनराशि की निविदा की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

विषय संख्या-10: डा0 जय शंकर टण्डन की भूमि अर्जन सम्बन्धी विषय ।

पारित प्रस्ताव- प्रस्तुत आख्या पर विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि डा0 जय शंकर टण्डन की भूमि अर्जन से मुक्त न की जावे, परन्तु उन्हें अलीगंज योजना में ही उपलब्ध ले-आउट के अनुसार उपयुक्त आकार का एक प्लाट नियमानुसार आबण्टित कर दिया जाये ।

विषय संख्या-11: बजट की अतिरिक्त सूचना ।

पारित प्रस्ताव - विषय संख्या 3 के साथ इस पर विचार हो चुका है ।

क्रमशः- - - - 5·

<u>विषय संख्या- 12:</u> विषय संख्या 4 के सम्बन्ध में आर्कीटेक्चरल डिज़ायन तथा लागत विवरण ।

<u>पारित प्रस्ताव -</u> विषय संख्या 4 के साथ इस पर विचार हो चुका है ।

<u>विषय संख्या-13:</u> अल्प आय वर्ग के मकान सम्बन्धी आख्या ।

<u>पारित प्रस्ताव -</u> प्रस्तुत आख्या पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि अल्प आय वर्ग के भवनों की कीमत में कमी करने के लिये कम प्लाट एरिया तथा यदि आवश्यक हो तो रियर सेट बैक पर निर्माण की अनुमति सिद्धान्तत: दी जाय ।

ह0/- शशि भूषण शरण
आयुक्त, लखनउ मण्डल,
एवं अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण